नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 289, नई दिल्ली, शुक्रवार 19 दिसम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सूरज हमे ये सिखाता है की हर काली रात के बाद उझाला ज़रूर आता है।

03 कुण्डली का षष्ठभाव शत्रु भाव नाम से जाना जाता है। रोग भी शत्रु होता है...

06 दबाव के दायरे में पिसता बचपन

08 पंद्रह हजार घनफीट बालू समेत तीन ट्रेक्टर सरायकेला में जप्त

चुप क्यों हैं ड्राइवरों के हितैषी बड़े ट्रांसपोर्ट संगठन एवं संस्थाएं, बड़ा सवाल ?

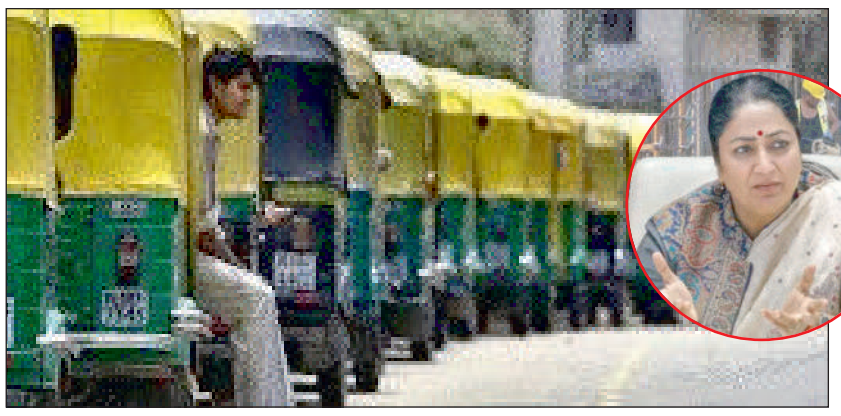

संजय बाठला

दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों के लिए 10000 रुपए की घोषणा पर ड्राइवर भाइयों के लिए रोजगार बंद की घोषणा, **सभी ड्राइवर भाइयों के हितैषी होने का दावा करने वाले चुप**

मजदूर को तो सिर्फ अपना भरण पोषण करना है और अन्न सरकारी उसको उपलब्ध फिर भी 10000 रुपए सहयोग राशि की घोषणा पर ड्राइवर भाइयों को

* भरण पोषण के लिए अन्न भी बाजार से बाजार मूल्य पर खरीदारी करणी है,

* वाहन की मासिक लोन किस्त (ई एम आई) का भुगतान भी करना है,

* वाहन के रख रखाव की जिम्मेदारी लेनी है,

* पूर्व से उपलब्ध बुकिंग पर यात्री को दी जाने की सेवा की जिम्मेदारी भी लेनी है,

फिर भी ड्राइवर भाइयों के लिए कोई सहयोग राशि की घोषणा नहीं, आखिर क्यों और क्यों है **चुप सभी ड्राइवर भाइयों के अपने आप को हितैषी कहने वाले**

दिल्ली में गैर - BS - 6 वाहनों पर रोक के फैसले से लाखों ड्राइवर और एकल वाहन मालिकों / ड्राइवरों की रोज़ी-रोटी पर सीधा प्रहार।

सवाल यह है —

* बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट संगठन आज चुप क्यों हैं?

* क्या सिंगल मालिक और छोटे ड्राइवर आपकी प्राथमिकता नहीं हैं?

* जब जुर्माना, ईंधन बंद और एंट्री बैन लागू हो रहा है, तब आवाज़ कौन उठाएगा ?

सरकार ने तो प्रदूषण से जनता को बचाव के नाम में फिर से व्यावसायिक सेवा प्रदान करने वाले वाहन मालिकों और ड्राइवर भाइयों के हित को ध्यान में रखे बिना सुना दिया अपना फैसला,

पर क्या सरकार, विभाग या न्यायालयों ने वाहन मालिकों/ ड्राइवर भाइयों से पूछा या उनके प्रति सोचा की —

* EMI कैसे भरेगा ड्राइवर?

* परिवार कैसे चलेगा?

* BS6 वाहन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?

राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति साफ कहना चाहती है — अगर आज भी ड्राइवर समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई,

तो यह चुप्पी ड्राइवरों के साथ अन्याय में भागीदारी मानी जाएगी।

अब समय है — एकल वाहन मालिक के साथ खड़े होने का, ड्राइवर की आवाज़ बनने का और सरकार से जवाब मांगने का,

या तो आज सवाल उठाइए वर्ना **कल इतिहास पूछेगा — जब ड्राइवर संकट में था, आप कहाँ थे ?**

छत्तीसगढ़ में ओडिशा के ट्रकों के साथ भेदभाव से ट्रक मालिकों को भारी नुकसान - डॉ. राजकुमार यादव (राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा)

परिवहन विशेष न्यूज

सुंदरगढ़: छत्तीसगढ़ के ट्रक मालिक संघ द्वारा मनमानी और दादागिरी किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ओडिशा के ट्रकों को जानबूझकर रोका जा रहा है, जिससे ट्रक मालिकों और चालकों को भारी आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सुंदरगढ़ जिले के विस्थापित वाहन मालिक संघ के अंतर्गत संचालित एसटीओए, जेजेटीए और यूसीटीओए से जुड़े ट्रक गर्जनबहाल और कुल्डा कोयला खदानों से कोयला लोड कर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित आईएनडी साइनर्जी, एमएसपी, मां मंगला, मां सकंबरी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों में अनलोडिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रायगढ़ जिले के ट्रेलर मालिक संघ द्वारा इन ट्रकों को बिना किसी ठोस कारण के रास्ते में रोक दिया गया।

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने आरोप लगाया है कि इस अवैध रोक के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही ट्रक चालकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट तथा ट्रकों से बैटरी, डीजल और अन्य उपकरणों की चोरी जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं।

स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ट्रक मालिक संघों ने 17 तारीख (बुधवार) को रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक संघ के साथ बैठक कर ट्रकों को सुचारु रूप से चलने देने का अनुरोध किया था। बैठक में रायगढ़ ट्रेलर मालिक संघ ने सहमति भी जताई थी और कुछ समय के लिए ट्रकों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन आरोप है कि थोड़ी देर बाद फिर से ट्रकों को रोक दिया गया।

इस कारण कई ट्रक औद्योगिक इकाइयों में कोयला अनलोड करने के बाद अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, जिससे ट्रक मालिकों को अनावश्यक परेशानियों और अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रक मालिक संघों ने भी प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर ओडिशा के ट्रकों को सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक आपूर्ति व्यवस्था बाधित न हो और ट्रक चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उज्जवला कनेक्शन केवल महिलाओं के लिए है, आज ही अपना कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मांग करे

पिंकी कुंडू 07053533169
सुनीता शर्मा 09560831118

यह उन महिलाओं के लिए जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है

1. उज्जवला कनेक्शन केवल महिलाओं के लिए है
2. महिला का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए
3. महिला सबसे अपने घर में सबसे बड़ी लेडिस होनी चाहिए जिसे गैस कनेक्शन मिलेगा
4. राशन कार्ड में जितने सदस्यों के नाम है उन सब के आधार कार्ड
5. जो महिला के नाम से गैस कनेक्शन दिया जा रहा है उसकी बैंक की पासबुक सरकारी बैंक में होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस वाली नहीं चलेगी
6. अगर उसका पता उसके डॉक्यूमेंट राशन कार्ड या आधार कार्ड से अलग है तो उसके रेंट का कोई भी प्रूफ जैसे कि बिजली का बिल रेंट एग्रीमेंट या कोई और सरकारी दस्तावेज
7. यह डॉक्यूमेंट गैस एजेंसी में जमा करवाने के बाद गैस एजेंसी वाले उसको अगले दिन संपर्क करेंगे EKYC के लिए
8. EKYC क्लियर होते ही उसका गैस कनेक्शन मिल जाएगा

उन महिलाओं के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है

1. उज्जवला कनेक्शन केवल महिलाओं के लिए है
2. जिन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं है उन्हें दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड जरूरी चाहिए
3. जिस महिला का राशन कार्ड नहीं है वह अपने परिवार की सूची उज्वला के फॉर्म में भरकर देगी कि मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं
4. जितने सदस्यों के नाम वह महिला बताएगी उतनो के आधार कार्ड की कॉपी गैस एजेंसी में फार्म के साथ जमा होगी।
5. जो महिला के नाम से गैस कनेक्शन दिया जा रहा है उसकी बैंक की पासबुक सरकारी बैंक में होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस वाली नहीं चलेगी
6. अगर उसका पता उसके डॉक्यूमेंट राशन कार्ड या आधार कार्ड से अलग है तो उसके रेंट का कोई भी प्रूफ जैसे कि बिजली का बिल रेंट एग्रीमेंट या कोई और सरकारी दस्तावेज
7. यह डॉक्यूमेंट गैस एजेंसी में जमा करवाने के बाद गैस एजेंसी वाले उसको अगले दिन संपर्क करेंगे EKYC के लिए
8. EKYC क्लियर होते ही उसका गैस कनेक्शन मिल जाएगा।

दिल्ली की जहरीली हवा और हिमाचल प्रदेश: अवसर बनाम चुनौतियाँ

प्रस्तुत कर्ता:- नवदीप सिंह

पिछले कुछ सालों में दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। हालांकि, इसका असर सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है; यह प्रदूषण अलग-अलग इलाकों में फैल रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे दूर के इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने साफ-सुथरे माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि इसके मुख्य असर नकारात्मक हैं, लेकिन कुछ ऐसे असर भी हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी है। हवा की क्वालिटी में गिरावट: हिमाचल प्रदेश, जो अपनी साफ हवा और ऊंचे पहाड़ी माहौल के लिए जाना जाता है, अब पार्टिकुलेट मैटर (PM२.5) और PM10 जैसे हानिकारक प्रदूषकों के फैलने का सामना कर रहा है। ये कण लंबी दूरी तय करके हिमाचल प्रदेश तक पहुँच सकते हैं, खासकर सर्दियों में जब मौसम का पैटर्न प्रदूषित हवा को पहाड़ियों की ओर ले जाता है। प्रदूषण से हवा की क्वालिटी में कुल मिलाकर गिरावट आ सकती है, जिससे इस क्षेत्र का ताज़ा माहौल खराब हो सकता है। स्वास्थ्य जोखिम: दिल्ली से होने वाले प्रदूषण का हिमाचल प्रदेश पर सबसे बड़ा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हालांकि यह क्षेत्र दिल्ली की तुलना में कम औद्योगिक है, लेकिन राजधानी के प्रदूषकों के संपर्क में आने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खासकर सांस से जुड़ी समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की दूसरी बीमारियाँ। लंबे समय तक संपर्क में रहने से दिल की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। कम विजिबिलिटी: प्रदूषकों का उच्च स्तर, खासकर स्मॉग और कोहरे से पहाड़ी इलाकों में विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को परेशानी होती है। शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों पर कई दिनों तक कम विजिबिलिटी रह सकती है, जिससे उनकी सुंदरता कम हो जाती है और स्थानीय पर्यटन बाधित होता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। वनस्पति और जीव-जंतुओं पर असर: हिमाचल के अलग-अलग इकोसिस्टम, जिसमें इसके जंगल, वन्यजीव और खेती शामिल हैं, भी खतरे में हैं। हवा से लाए गए प्रदूषक फोटोसिंथेसिस में रुकावट डालकर पौधों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि जानवर, खासकर जो हवा की क्वालिटी के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, फसलों की पैदावार पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होगा। जलवायु और मौसम में बदलाव: दिल्ली से होने वाला वायु प्रदूषण बड़े जलवायु परिवर्तनों में योगदान देता है जो हिमाचल प्रदेश के मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अप्रत्याशित बारिश, अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव का अनुभव हो सकता है। ये बदलाव खेती, यानी के संसाधनों और प्राकृतिक इकोसिस्टम की सेहत पर असर डाल सकते हैं। फायदे: पर्यावरण नीतियों पर ज़्यादा ध्यान: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट ने केंद्र सरकार और राज्य अधिकारियों को पूरे उत्तरी क्षेत्र में हवा की क्वालिटी मैनेजमेंट और पर्यावरण सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। इससे हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए मज़बूत नीतियां बन सकती हैं, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे आस-पास के इलाकों दोनों में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने या जंगल बचाने की कोशिशों को बढ़ाने जैसे हरे-भरे विकल्पों पर ध्यान देने से हिमाचल की हवा की क्वालिटी के लिए लंबे समय तक फायदे हो सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बढ़ावा: प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, हिमाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में ज़्यादा निवेश देखा जा सकता है। राज्य के भरपूर प्राकृतिक संसाधन इसे इन कामों के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं, और दिल्ली के प्रदूषण संकट के बाद स्वच्छ टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने से एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। पर्यटन जागरूकता और इकोट्यूरिज्म: दिल्ली से होने वाले प्रदूषण का साफ असर हिमाचल प्रदेश को अपने इकोट्यूरिज्म सेक्टर को और विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। साफ हवा और साफ-सुथरे माहौल की तलाश करने वाले टूरिस्ट राज्य के कम प्रदूषित हिस्सों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे ज़्यादा टिकाऊ पर्यटन तरीकों को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यावरण संरक्षण पर ज़ोर देने से ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें, जिससे एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसकी स्थिति बनी रहे। हालांकि दिल्ली से हिमाचल प्रदेश पर हवा के प्रदूषण के मुख्य प्रभाव ज़्यादातर नकारात्मक हैं, लेकिन यह मुद्दा बेहतर पर्यावरण मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देने और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के अवसर भी प्रदान करता है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र इन चुनौतियों से जूझ रहा है, यह ज़रूरी है कि स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारें प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हिमाचल प्रदेश अपनी पर्यावरणीय विरासत को बनाए रखे और आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल हो। दिल्ली की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता केवल एक शहरी पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के व्यापक विकास मॉडल की विफलता को भी उजागर करती है। इस परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश एक विकल्प के रूप में उभरता है—जहाँ अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा, प्राकृतिक संसाधन और बेहतर जीवन गुणवत्ता दिल्ली के प्रदूषण से त्रस्त लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। यह स्थिति हिमाचल के लिए पर्यटन, स्वास्थ्य-आधारित निवास, वर्क-फ्रॉम-हिल्स और ग्रीन इकोनॉमी जैसे नए अवसर पैदा करती है। लेकिन यही अवसर यदि बिना दूरदर्शी योजना के अपनाए गए, तो वे स्वयं गंभीर चुनौतियों में बदल सकते हैं। अनियंत्रित शहरीकरण, बढ़ता ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन की कमजोरी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव हिमाचल की पारिस्थितिक संतुलन को उसी दिशा में धकेल सकते हैं, जहाँ आज दिल्ली खड़ी है। यानी दिल्ली की समस्या का समाधान यदि केवल भौगोलिक पलायन बनकर रह जाए, तो प्रदूषण का स्थानांतरण तो होगा, समाधान नहीं। अतः वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हिमाचल प्रदेश के लिए दिल्ली की जहरीली हवा एक चेतावनी के साथ आया अवसर है। यदि हिमाचल सतत विकास, सख्त पर्यावरणीय नियमों, सीमित वहन क्षमता (carrying capacity) और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता देता है, तो वह न केवल खुद को सुरक्षित रख सकता है बल्कि दिल्ली जैसे महानगरों के लिए एक नीतिगत मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा, यह अवसर धीरे-धीरे उसी संकट में बदल सकता है, जिससे बचने के लिए लोग हिमाचल की ओर देख रहे हैं।

लेखक: राजन कुमार शर्मा
प्रशिक्षण प्रभारी एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार
डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध

डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: 16 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक स्वतः संज्ञान मामले में पीड़ित मुआवजा तंत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

"डिजिटल अरेस्ट" क्या है?
"डिजिटल अरेस्ट" एक अत्यंत परिष्कृत साइबर अपराध तकनीक है, जिसमें ठग स्वयं को पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों या सरकारी अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फर्जी दस्तावेज, नकली समन और डराने धमकाने वाली ऑडियो/वीडियो कॉल का उपयोग करके वे:

* पीड़ितों पर गंभीर अपराधों (जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या नारकोटिक्स) का आरोप लगाते हैं।

* गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं।

* पीड़ितों को अलग थलग कर मानसिक बंधक जैसी स्थिति में ले जाते हैं।

* डर और दबाव में भारी रकम ट्रांसफर करवाते हैं।

इस घोटाले में अक्सर शामिल होता है:

* यूनिफॉर्म पहने "अधिकारियों" की नकली वीडियो कॉल।

* म्यूल अकाउंट्स और अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रेल्स।

* वरिष्ठ नागरिकों और पेशेवरों जैसे संवेदनशील समूहों को निशाना बनाना।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश

* केंद्र सरकार को एक स्टेकहोल्डर स्तरीय बैठक बुलानी होगी, जिसमें—

* पीड़ित मुआवजा तंत्र

* डिजिटल अरेस्ट घोटालों के विरुद्ध प्रणालीगत सुरक्षा उपाय —पर चर्चा की जाए।

अमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. नप्पिनै की सिफारिशें:

* यूके मॉडल जैसा Authorised Push Payment (APP) स्कैम पीड़ितों के लिए रिइम्बर्समेंट फ्रेमवर्क।

* संदिग्ध लेनदेन को चिन्हित करने हेतु बैंकिंग सिस्टम अलर्ट।

* सीबीआई के इनपुट और अंतर विभागीय समन्वय को भी समाधान का हिस्सा बनाया जाए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है अदालत की टिप्पणियाँ इन गंभीर चिंताओं को दर्शाती हैं:

* भारतीय नागरिकों द्वारा झेले जा रहे भारी वित्तीय नुकसान।

* प्रतिरूपण और धमकी से होने वाला मनोवैज्ञानिक आघात।

* बैंकों, टेलीकॉम और कानून प्रवर्तन के बीच समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र की कमी।

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करता है:

* पीड़ित केंद्रित न्याय।

* साइबर अपराध प्रतिक्रिया में बहु क्षेत्रीय सुधार।

प्रतिरूपण तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शुरुआती रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है।

AI का उपयोग करें, लेकिन अपनी बुद्धि गिरवी न रखें

पिंकी कुंडू

आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) के युग में जी रहे हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट ऐप्स, चैटबॉट्स, स्वचालित प्रणालियाँ—इन सभी के पीछे AI कार्य कर रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बैंकिंग, प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में AI मानव के कार्य को सरल बना रहा है।

लेकिन इस प्रगति के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा होता है— क्या AI का उपयोग करते समय हम अपनी स्वयं की बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय क्षमता खोते जा रहे हैं? इसलिए "AI का उपयोग करें, लेकिन अपनी बुद्धि गिरवी न रखें" यह विचार आज अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।

AI के लाभ और आवश्यकता AI के कारण कार्य की गति बढ़ती है, सटीकता में सुधार होता है और समय की बचत होती है।

* विद्यार्थियों के लिए AI पढ़ाई में सहायक है,

* शिक्षकों के लिए शिक्षण को आसान बनाता है,

* डॉक्टरों के लिए निदान को अधिक सटीक करता है और

* उद्योगों के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाता है।

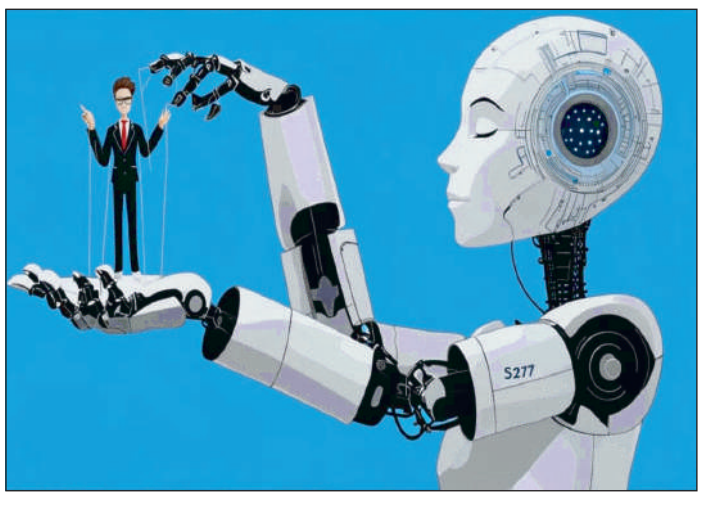

विशाल मात्रा में जानकारी का विश्लेषण AI कुछ ही क्षणों में कर सकता है, जिसमें मनुष्य को बहुत समय लगता है या लग सकता है। इसलिए AI मानव का सहयोगी है, प्रतिस्पर्धी नहीं।

बुद्धि गिरवी रखने का खतरा लेकिन AI पर अत्यधिक निर्भर रहने से मनुष्य की स्वयं की सोचने की शक्ति कमजोर पड़ने का खतरा उत्पन्न होता है। हर प्रश्न का उत्तर AI से लेना, हर निर्णय के लिए तकनीक पर निर्भर रहना और स्वयं विचार न करना— इससे मनुष्य मशीन पर निर्भर बन सकता है। रचनात्मकता, तर्कशक्ति, नैतिक निर्णय क्षमता और स्वतंत्र विचार मानव बुद्धि की विशेषताएँ हैं।

AI के पास भावनाएँ, संवेदनाएँ या नैतिक चेतना नहीं होती; वह केवल दी गई जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालता है।

मानवीय बुद्धि का महत्व मानवीय बुद्धि अनुभव, भावनाओं, संस्कारों और मूल्यों पर आधारित होती है। किसी समस्या का समाधान केवल तकनीकी दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से भी करना पड़ता है। यह कार्य AI नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, न्याय, करुणा, सहानुभूति, सृजनशीलता और मूल्य-आधारित निर्णय केवल मनुष्य ही ले सकता है।

इसलिए AI को मार्गदर्शक या उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय मानवीय बुद्धि से ही लेना चाहिए।

संतुलित उपयोग की आवश्यकता AI का सही और सीमित उपयोग किया जाए तो यह मानव के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।

* विद्यार्थियों को AI से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उत्तर अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए।

* कर्मचारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अपनी स्वयं की क्षमताओं का विकास करना बंद नहीं करना चाहिए।

* समाज को तकनीक अपनाते समय नैतिकता, जिम्मेदारी और विवेक बनाए रखना चाहिए।

निष्कर्ष AI मानव द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण है। उपकरण पर नियंत्रण मानव का होना चाहिए, ना की मानव पर उपकरण का।

इसलिए AI का उपयोग अवश्य करें, लेकिन अपनी बुद्धि, विवेक और स्वतंत्र सोच को कभी भी गिरवी न रखें। तकनीक और मानवीय बुद्धि के बीच संतुलन बनाए रखने से ही वास्तविक प्रगति संभव है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए

पिंकी कुंडू

ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये चीजें इन दिनों में वर्जित हैं।

किस दिन किस वस्तु का सेवन न करें

प्रतिपदा को कद्दू,
द्वितीया को बैंगन,
तृतीया को परवल,
चतुर्थी को मूली,
पंचमी को बिल्व,
षष्ठी को नीम,
सप्तमी को ताड़,
अष्टमी को नारियल,
नवमी को लौकी,
दशमी को कलम्बी,
एकादशी को सेम की फली,
द्वादशी को पोई,
त्रयोदशी को बैंगन नहीं खाना चाहिए।

तिथि अनुसार आहार-विहार

प्रतिपदा को कूष्माण्ड (कुम्हड़ा, पेठा) न खाये, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है।

द्वितीया को बृहती (छोटा गन या कटेहरी) खाना निषिद्ध है।

तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है।

चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है।

पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है।

षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुँह में डालने

से नीच योनियों की प्राप्ति होती है।

सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है था शरीर का नाश होता है।

अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है।

नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है।

एकादशी को शिम्बी(सेम),
द्वादशी को पूतिका(पोई) अथवा
त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है।

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-34)

अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि, रविवार, श्राद्ध और व्रत के दिन तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है।

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः 27.29-38)

रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। (ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण खंडः 75.90)

सूर्यास्त के बाद कोई भी तिलयुक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। (मनु स्मृतिः 4.75)

लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराने वाला है।

(महाभारतः अनु. 104.93)

दूध के साथ नमक, दही, लहसुन, मूली, गुड़, तिल, नींबू, केला, पपीता आदि सभी प्रकार के फल, आइसक्रीम, तुलसी व अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। यह विरूद्ध आहार है।

दूध पीने के 2 घंटे पहले व बाद के अंतराल तक भोजन न करें।

बुखार में दूध पीना साँप के जहर के समान है।

काटकर देर तक रखे हुए फल तथा कच्चे फल जैसे कि आम, अमरूद, पपीता आदि न खायें।

फल भोजन के पहले खायें। रात को फल नहीं खाने चाहिए।

एक बार पकाया हुआ भोजन दुबारा गर्म करके खाने से शरीर में गाँठें बनती हैं, जिससे ट्यूमर की बीमारी हो सकती है।

अभक्ष्य-भक्षण करने (न खाने योग्य खाने) पर उससे उत्पन्न पाप के विनाश के लिए पाँच दिन तक गोमूत्र, गोमय, दूध, दही तथा घी का आहार करो।

चिंता (Anxiety) पर एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण: कोलीन का रहस्य

UC Davis Health के नवीनतम न्यूरोसाइंस शोध ने चिंता विकारों से ग्रस्त लाखों लोगों में एक समान और महत्वपूर्ण ब्रेन-केमिस्ट्री पैटर्न उजागर किया है। शोधकर्ताओं ने 25 उन्नत ब्रेन-इमेजिंग (^{1}H-MRS) अध्ययनों का विश्लेषण कर 370 चिंता रोगियों और 342 स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना की।

परिणाम चौंकाने वाला था: चिंता से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क में कोलीन का स्तर लगभग 8% कम पाया गया, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में—जो भावनाओं, निर्णय-क्षमता और व्यवहार नियंत्रण का केंद्र है।

कोलीन क्यों आवश्यक है कोलीन एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जो:- मस्तिष्क कोशिकाओं की संरचना

न्यूरोट्रांसमीटर (जैसे एसिटाइलकोलीन) निर्माण मस्तिष्क की ऊर्जा व संचार प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संभावित कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि चिंता की स्थिति में लगातार सक्रिय "फाइट-ऑर-फ्लाइट" सिस्टम मस्तिष्क की कोलीन की मांग बढ़ा देता है, जिससे इसके स्तर

घट सकते हैं।

एक ऐतिहासिक खोज यह पहला ऐसा मेटा-एनालिसिस अध्ययन है जिसने विभिन्न चिंता विकारों में एक समान रासायनिक पहचान (chemical signature) को प्रमाणित किया है, जैसे:

* जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर
* पैनिक डिसऑर्डर
* सोशल एंग्ज़ायटी
* फोबिया

पोषण और मानसिक स्वास्थ्य अभी कोलीन सप्लीमेंट को इलाज के रूप में सुझाया नहीं जा सकता, लेकिन यह अध्ययन बताता है कि पोषण मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आज कई लोगों के आहार में कोलीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसके प्राकृतिक स्रोत हैं:

* अंडे की जर्दी
* लीवर व मांस
* चिकन
* मछली (विशेषकर सैल्मन)
* सोयाबीन
* दूध व दुग्ध उत्पाद

मुख्य संदेश यह शोध कोई त्वरित इलाज नहीं बताता, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि मस्तिष्क रसायन, तनाव और पोषण के बीच गहरा संबंध है—जो भविष्य में चिंता विकारों की रोकथाम और उपचार की दिशा बदल सकता है।

वात–पित्त–कफ : रोगों की जड़ और समाधान

शरीर के तीन दोष – हर रोग की शुरुआत यहीं से मानव शरीर मुख्यतः तीन दोषों से बना है

* वात (GAS) – लगभग 80 रोग
* पित्त (ACIDITY) – लगभग 40 रोग
* कफ (COUGH) – लगभग 28 रोग

यहाँ केवल त्रिदोषों के मुख्य लक्षण और घरेलू समाधान बताए जा रहे हैं, जो सही परहेज़ के साथ आसानी से ठीक हो सकते हैं।

ध्यान रखें: जिस व्यक्ति की बड़ी आंत गंदी है, वही व्यक्ति बीमार रहता है। एनीमा एक ऐसी पद्धति है जो बड़ी आंत को साफ कर अनेक रोगों में राहत देती है।

संसार के लगभग सभी रोग इन तीन दोषों के बिगड़ने से ही पैदा होते हैं।

* वात दोष (GAS / वायु दोष)
* शरीर में जहाँ-जहाँ वायु रुककर टकराती है, वहीं दर्द पैदा होता है
* दर्द = वायु रुकी हुई है।

मुख्य लक्षण

* पेट, कमर, सिर, घुटने, सीना दर्द
* बार-बार डकार
* चक्कर, घबराहट, हिचकी

कारण

* गैस बनाने वाला भोजन (दालें आदि)
* यूरिक एसिड का जमाव हड्डियों का घिसना (जिसे डॉक्टर स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं)
* मैदा, बिना चोकर का आटा
* बेसन की चीज़ें
* दूध व दुग्ध-पदार्थ
* व्यायाम की कमी, कमजोर आँतें
* तन भोजन से बिगड़ता है
* मन विचारों से बिगड़ता है
* मनोदशा गलत संगत से बिगड़ती है

निवारण

अदरक / सोंठ – आधा चम्मच रात में गुनगुने पानी से

लहसुन – गैस, कफ, यहाँ तक कि ब्लॉकेज में भी राहत

सर्दी में : 2-2 कली सुबह-शाम

गर्मी में: 1-1 कली

सब्ज़ी, चटनी या जूस में कच्चा मिलाकर लें

मेथीदाना – अदरक-लहसुन जैसा ही प्रभावी

प्राकृतिक उपचार जिस अंग में दर्द हो:

* गरम लगे ठंडी सिकाई
* ठंडा लगे गरम सिकाई
* सामान्य हो 1 मिनट गरम + 1 मिनट ठंडा

कफ दोष (COUGH) :- मुख्य लक्षण

* मुँह-नाक से

बलगम

*

सर्दी, जुकाम, खाँसी

* टीबी, निमोनिया, प्लूरिसी
* अस्थमा, सांस फूलना

कारण

* अधिक तेल-चिकनाई
* दूध व दुग्ध-पदार्थ
* ठंडा पानी, फ्रिज की चीजें
* धूल-धुआँ
* धूप न लेना

निवारण

विटामिन C (आँवला) – कफ का सबसे बड़ा दुश्मन

लहसुन – पसीने के ज़रिये कफ बाहर

अदरक –

* श्रेष्ठ कफ नाशक
* BP संतुलित
* ब्लड सर्कुलेशन बेहतर
* नींद गहरी

प्राकृतिक उपचार

* गुनगुने नमक-पानी से गरारे
* गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठें
* 2 गिलास सादा पानी पिएँ
* सिर पर ठंडा कपड़ा
* रोज़ 30–60 मिनट धूप

पित्त दोष (ACIDITY / पेट के रोग), वात और कफ के रोग हटाने के बाद बचे सभी रोग पित्त दोष से जुड़े हैं —

* BP, शुगर, मोटापा, अर्थराइटिस आदि

मुख्य लक्षण

* पेट, पेशाब, मल, त्वचा में जलन
* खट्टी डकार
* शरीर में भारीपन

कारण

* तीखे मसाले, लाल मिर्च, अधिक नमक-चीनी
* चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, शराब
* मांस, मछली, अंडा
* लगातार पका हुआ भोजन
* क्रोध, चिंता, तनाव
* दवाइयों का अधिक सेवन
* मल व प्राकृतिक वेग रोकना

निवारण (पुराने-नए सभी रोगों का एक समाधान)

* फटे दूध का पानी, गर्म दूध में नींबू डालें, पानी छानकर पिएँ
* पेट के रोग
* सभी प्रकार के बुखार

फल-सब्ज़ी के रस

* अनार, लौकी, पत्ता गोभी
* नींबू पानी

प्राकृतिक उपचार

* पेट पर गीला ठंडा कपड़ा
* रीढ़ की हड्डी पर ठंडी पट्टी (रीढ़ की गर्मी से लकवा तक हो सकता है)
* योग, व्यायाम
* गहरी नींद

इलाज से बेहतर है बचाव, स्वदेशी बनें – प्रकृति से जुड़े।

सामान्य कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होने पर भी दिल की बीमारी क्यों हो सकती है - एक सरल लेकिन गहन समझ

यह बात कई लोगों को चौंका देती है कि जब LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट सामान्य आती है, तब भी डॉक्टर स्टेंट या बायपास सर्जरी (CABG) की सलाह क्यों देते हैं। यह न तो रिपोर्ट की गलती होती है, न ही डॉक्टरों की जल्दबाज़ी। सच्चाई यह है कि हृदय रोग केवल कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं, बल्कि धमनियों के भीतर होने वाली रुकावटों की बीमारी है।

आइए इसे आसान भाषा में, मित्रवत अंदाज़ में समझते हैं — और फिर भारत की वर्तमान स्थिति पर नज़र डालते हैं।

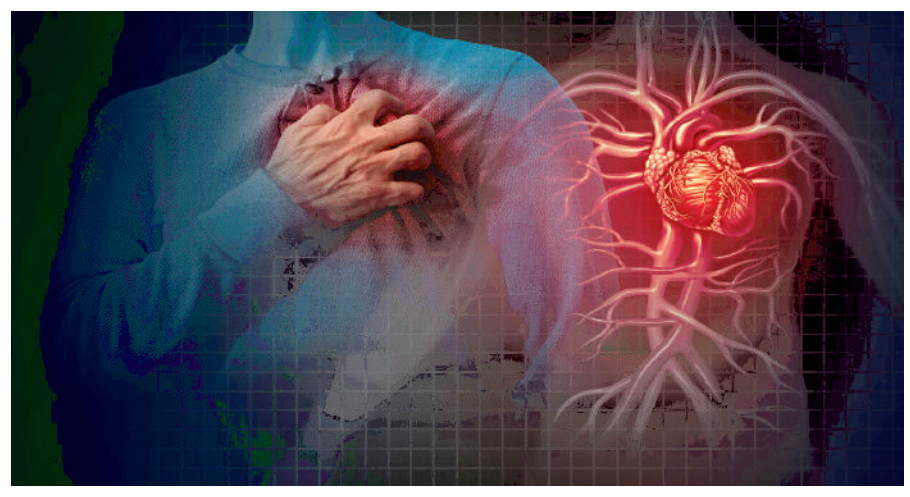

1. हृदय रोग केवल कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि धमनियों में जमी "रुकावट" की कहानी है। हमारे दिल तक खून पहुँचाने वाली नलिकाओं को धमनियाँ (Arteries) कहते हैं। समय के साथ इन धमनियों की अंदरूनी दीवारों पर एक चिपचिपा पदार्थ जमा होने लगता है, जिसे प्लाक (Plaque) कहते हैं। यह प्लाक निम्न लिखित पदार्थों से बना होता है:

* वसा (फैट)
* कैल्शियम
* सूजन पैदा करने वाले तत्व
* क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के अवशेष

इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis) कहते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: LDL और ट्राइग्लिसराइड्स सामान्य होने पर भी प्लाक बन सकता है। क्योंकि प्लाक केवल खून की चर्बी से नहीं बनता, बल्कि:

* धमनियों की सूजन
* दीवारों की चोट
* शरीर की अंदरूनी जलन (Inflammation) भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है।

शोध बताते हैं कि लगभग 50% लोगों में कोलेस्ट्रॉल सामान्य होने के बावजूद दिल की धमनियों में छुपी रुकावटें होती हैं।

उदाहरण: धमनियों को आप बगीचे की पाइप समझिए। पानी साफ हो, फिर भी समय के साथ पाइप के अंदर जंग और गंदगी जम सकती है।

इसी कारण:

* सीने में दर्द (एंजाइना)
* सांस फूलना
* अचानक हार्ट अटैक, हो सकता है — भले ही रिपोर्ट "नॉर्मल" हो।

2. वह छुपे हुए खतरे जो दिल को नुकसान पहुँचाते हैं

उच्च रक्तचाप (High BP) तेज़ दबाव से धमनियों की दीवारें कमजोर होती हैं, जिससे प्लाक आसानी से चिपकता है।

मधुमेह (Diabetes) खून में अधिक शुगर धमनियों में जलन पैदा करती है। भारत में डायबिटीज + हार्ट डिज़ीज़ का मेल बेहद आम है।

धूम्रपान सिगरेट के रसायन धमनियों को जला देते हैं और रुकावट बढ़ाते हैं।

मोटापा और खराब खानपान पेट की चर्बी शरीर में सूजन बढ़ाने वाले रसायन छोड़ती है। भले ही कोलेस्ट्रॉल ठीक हो, फिर भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

पारिवारिक कारण (Genetics) कुछ लोगों की धमनियाँ जन्म से ही "जल्दी चिपकने वाली" होती हैं।

कम HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) LDL सामान्य हो, पर यदि HDL कम है, तो शरीर गंदगी साफ नहीं कर पाता।

अन्य सूजन के कारण मसूड़ों की बीमारी, लंबे समय का तनाव, संक्रमण — सब दिल पर असर डालते हैं।

निष्कर्ष: यदि किसी मुख्य धमनी में 70–80% रुकावट है, तो दिल को पर्याप्त खून नहीं मिलता — और इलाज जरूरी हो जाता है।

3. डॉक्टर स्टेंट या बायपास का निर्णय कैसे लेते हैं? ब्लड टेस्ट केवल जोखिम बताते हैं, मौजूदा रुकावट नहीं।

डॉक्टर देखते हैं:

लक्षण: सीने में दर्द, थकान, धड़कन

ECG / स्ट्रेस टेस्ट: मेहनत में दिल की क्षमता

एंजियोग्राफी: डाई डालकर एक्स-रे से धमनियों की सटीक स्थिति

स्टेंट

* 1–2 जगह रुकावट
* कम इनवेसिव प्रक्रिया
* 1–2 दिन में छुट्टी

बायपास सर्जरी

* 3 या अधिक धमनियाँ बंद
* डायबिटीज़ के मरीज
* नई "रास्ता" बनाकर खून पहुँचाया जाता है
* लंबी उम्र और बेहतर सुरक्षा

दवाइयाँ जोखिम कम करती हैं, लेकिन पहले से बनी रुकावट नहीं हटातीं। देरी करने पर आपातकालीन हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है — जो ज़्यादा जोखिमभरा और महँगा होता है।

भारत की वर्तमान स्थिति और 2025 की नई उम्मीदें भारत आज हृदय रोग की वैश्विक राजधानी बन चुका है। यहाँ दिल की बीमारियाँ 40 की उम्र में शुरू हो रही हैं, 60 में नहीं।

कारण:

* जंक फूड
* कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर ड्रिंक्स
* अल्ट्रा-प्रोसेस्ड स्नैक्स
* तनाव, प्रदूषण
* आनुवंशिक जोखिम

नए दिशा-निर्देश (2024–2025), CSI Guidelines 2024

* 20–30 वर्ष की उम्र से जाँच
* नॉन-फास्टिंग लिपिड टेस्ट

हाई-रिस्क मरीजों में LDL लक्ष्य <55 mg/dL

नई दवाएँ

* Inclisiran — साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन
* PCSK9 inhibitors से अल्ट्रा-लो LDL
* Lipid Association of India
* "Extreme Risk" कैटेगरी
* योग, आहार, कोल्ड ड्रिंक्स व तंबाकू से दूरी पर ज़ोर

टेक्नोलॉजी

* रोबोटिक बायपास
* किडनी-सेफ एंजियोग्राफी
* AI आधारित हार्ट स्कैन
* ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त हार्ट कैंप

विशेष सिफारिशें (बहुत ज़रूरी)

* सतर्क रहें
* हमेशा सेकंड ओपिनियन लें
* अच्छे और वैज्ञानिक हेल्थ ग्रुप से जुड़ें और वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त करें
* मेडिकल क्षेत्र में होने वाली गलत प्रथाओं (Scam /Fraud/Malpractices) से जागरूक रहें
* रोज़ 45 मिनट चलना, तनाव से बचना, शराब, गुटखा , पान मसाला, मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान छोड़ना — सर्जरी से बचा सकता है

अंतिम संदेश दिल की सेहत केवल रिपोर्ट नहीं, पूरी जीवनशैली का परिणाम है। समय पर जागरूकता, सही जानकारी और समझदारी भरे निर्णय — आपको स्टेंट और बायपास से बचा सकते हैं।

दिल की देखभाल अकेले डॉक्टर की नहीं, हमारी भी ज़िम्मेदारी है।

18 से 45 साल में हो रही अचानक मौत, चौंकाने वाला पर सत्य तथ्य

एम्स (AIIMS) के एक नए अध्ययन से चौंकाने वाली बात सामने आई है। आजकल अचानक होने वाली मौतें सिर्फ बुढ़ापे तक सीमित नहीं हैं, पिछले एक सालो में अचानक मरने वाले आधे से ज्यादा लोग 45 साल से कम उम्र के थे।

अचरज वाली बात यह है की इनमें से कई तो बिल्कुल स्वस्थ दिखते थे और घर पर या सफर के दौरान अचानक गिरकर मर गए।

यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपा है और यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

यह क्रॉस - सेक्शनल स्टडी मई 2023 से अप्रैल 2024 तक एम्स नई दिल्ली के पैथोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन विभागों में की गई।

इसमें 2,214 पोस्टमार्टम की जांच की गई, इनमें से 180 मामले (8.1%) अचानक मौत के मानदंडों पर खरे उतरे।

इन 180 मामलों में से 103 (57.2%) युवा थे, जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच थी। इन युवाओं की औसत उम्र 33.6 साल थी और इनमें पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा थी।

"यह जानकारी हम आपसे इस लिए बाट रहे है जिससे आप अपना और अपने बच्चों का सही ध्यान और खानपान पर ध्यान रख लंबी आयु तक खुशी से जीवन यापन करे

फेफड़ों की सेहत के लिए कुछ प्राकृतिक उपाय हैं जो आपको बेहतर सांस लेने में मदद कर सकते हैं

- गर्म दालचीनी-लौंग की चाय: यह एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

- नींबू और शहद का गर्म पानी: इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

- हरी चाय: इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं।

इसके अलावा, कुछ खाद्य पदार्थ भी हैं जो फेफड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं [2]:

- हरी पत्तेदार सब्जियां: ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होती हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

- वसायुक्त मछली: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं जो फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद करती हैं।

- नारंगी और संतरे जैसे खट्टे फल: विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

इन उपायों को अपनाकर आप

अपने फेफड़ों की सेहत में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित होगा।

कुण्डली का षष्ठभाव शत्रु भाव नाम से जाना जाता है। रोग भी शत्रु होता है। इसलिये यह रोग भाव हुआ। इस भाव से हर प्रकार के शत्रुओं का बोध होता है।

पिंकी कुंडू

शत्रु की परिभाषा क्या है ? जो दुःख दे वह शत्रु है। जो विरोध करे वह शत्रु है। दुःख देने वाले / विरोध करने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु आदि शत्रु हैं। इन शत्रुओं में एक बड़ा शत्रु है और वह है - दरिद्रता। कहा गया है

"दारिद्र्यान् मरणाद्वापि दारिद्र्यमवरं स्मृतम्।
अल्पक्लेशेन मरणं दारिद्र्यमति दुःसहम् ॥"

(हितोपदेश, मित्रलाभ १२८)

दरिद्रता और मरना - इन दोनों में से दरिद्रता बुरी है। क्योंकि मरण तो थोड़े क्लेश से होता है और दरिद्रता सदा दुःख देती है । कोई भी वस्तु जो नियन्त्रण वा अधिकार में नहीं है, वह शत्रु है। शंकराचार्य कहते हैं

"के शत्रवः सन्ति ? निजेन्द्रियाणि । तान्येव मित्राणि जितानि यानि ।"

(प्रश्नोत्तरी।)

[कौन शत्रु है ? अपनी इन्द्रियाँ यदि यह जीत ली जाती हैं तो मित्र हैं।]

विष सब का शत्रु है। यदि इसका शोधन कर औषधि बनाया जाय तो यही मित्र हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति का अपना आत्मा ही उसका मित्र वा शत्रु है। गीता में भगवान्-कृष्ण का अर्जुन के प्रति वचन है

"बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥"

(गीता ६।६)

जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया है, उसका आत्मा ही आत्मा का मित्र है। जिसने ऐसा नहीं किया उसका आत्मा निश्चय ही शत्रुवत्व्यवहार करता है। अर्थात उसका शत्रु है। आत्मकारक पह है, सूर्य जब सूर्य षष्ठ भाव में होता है, तो व्यक्ति अपना शत्रु होता है। सबसे अधिक अंशवाला यह जैमिनीय मत से आत्मकारक होता है। ऐसा यह जब पष्ठस्थ होता है तो भी व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं होता है। लग्नेश के पृष्ठ में होने से भी जातक स्व शत्रु होता है।

लग्नेश जिस नवांश में हो उस नवांश का स्वामी यदि पृष्ठ में हो तो भी व्यक्ति अपना शत्रु होता है। लग्न राशि का नवांशेश भी षष्ठ में होने पर जातक अपना शत्रु होता है।

नीतिशास्त्र का एक वाक्य है

"उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम।
तागोदर संस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥"

(हितोपदेश, मित्रलाभ १५६)

जैसे सरोवर के पानी के चारों ओर छलकने / बहते रहने से उस पानी को शुद्धि होती है, वैसे हो उपार्जित वित्त के त्याग/दान से धन की रक्षा / शुद्धि होती है। अतः जन्मजन्मान्तर से प्राप्त विद्या की शुद्धि के लिये मैं इसका त्याग / दान, लेखन के द्वारा करता हूँ।

कुण्डली का षष्ठ भाव शत्रु क्यों ? यह विचारणीय प्रश्न है। जीवन के अन्त का द्योतक होने से द्वादश भाव दुःस्थान है। यह भाव अपनी १८०° की ऋजु दृष्टि से षष्ठ को देख रहा है। इसलिये षष्ठ भी दुःस्थान हुआ। दुष्ट भाव होने से यह जातक का शत्रु हुआ। कुण्डली में तीन दुःस्थान हैं-६, ८, १२ । ये उत्तरोत्तर अधिक दुष्ट है।

अष्टम से एकादश स्थान भाव ६ है इसलिये यह मृत्यु का लाभ हुआ। इस प्रकार भाव ६, मृत्यु वा अष्टम का सहायक (लाभकर) हुआ। रोग के द्वारा मृत्यु होती है। अब यह स्पष्ट है-भाव ६, भाव ८. भाव १२ अशुभ स्थान हैं। भाव १२ पूर्णमृत्यु का द्योतक है। भाव ८ तीन चौथाई मृत्यु का प्रतिनिधि है। भाव ६ अर्ध मृत्यु का कारक है। रोग, व्रण, शोक का होना अर्धमृत्यु है। इससे जातक मरता नहीं, कष्ट से तड़पता रहता है। भाव ६ रोग है, त्रिताप है। दैहिक दैविक भौतिक-तीन ताप हैं। वात पित्त कफ जन्य दोषों का विचार इस भाव से होता है। किस कारण वा कर्म के फलस्वरूप रोग होते हैं ? इसका विचार जैमिनि ने किया है।

जैमिनीय आश्वमेधिकपर्व के अड़तालीसवें अध्याय में यमराज ने नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण बताते हुए, उनसे छूटने के उपाय का निरूपण किया है।

१. ब्रह्महत्या करके प्रायश्चित न करने वाले को 'गलत्कुष्ठ' होता है। महारुद्र का जप हवन करके २४ निष्क स्वर्ण की पुरुष प्रतिमा का दान ब्राह्मण को करने से इस रोग से मुक्ति मिलती है।

२. देवधन का अपहरण करने से तथा ब्राह्मण भोजन में बाधा पहुँचाने से विषूचिका रोग होता है। अन्न का दान करने

से यह रोग नहीं होता।

३. स्वगोत्र में विवाह करके कामोपभोग करने से प्रमेह रोग होता है।

४. शिव सम्पत्ति की चोरी करने, पराई उन्नति देख कर मुंह बिचकाने वाले को लिंगपीडा का रोग होता है।

५. स्वर्ण की चोरी करने वाला कुनखी होता है तथा उसे पाण्डु रोग होता है। विष्णु सम्बन्धी मंत्र का जप करने से यह रोग ठीक होता है।

६. गर्भपात कराने वाले मनुष्य के शरीर में जलोदर रोग होता है।

७. जो रस की चोरी करता है उसे विवचिका (खाज) नामक रोग होता है।

८. विश्वासघाती को सन्निपात नामक रोग होता है।

९. पराई निन्दा करने वाले तथा जलस्थान को दूषित करने वालों को अतिसार।

१०. जो धार्मिक सम्पत्ति को हड़प लेता है, ऐसे मनुष्य को संग्रहणी का रोग होता है।

११. भोजन करते हुए ब्राह्मणों से द्वेष करने वालों को अ-रोचक रोग होता है। रोग होता है।

१२. जो सुहदों पर धिक् शब्द का प्रहार करता है, मार्ग में जाते हुए पथियों को हँस कर पीडित करता है, किसी को आशा देकर उसे पूरी नहीं करता, उसे शूल पीड़ा होती है। कारागार में बन्द हुए मनुष्यों को, पिंजड़े में बन्द पक्षियों को, मार्ग में पीटे जाते हुए पथिकों को उस महान् भय से जो छुड़ाते हैं उन्हें तीन सौ शूलों में से एक भी शूल नहीं सताता ।

13. जो पराये उत्कर्ष को सह नहीं पाता, उसे हिक्का (हिचको) रोग होता है।

१४. जिसके पास बहुत धन हो परन्तु वह कृपण हो, सत्कार्य में धन व्यय न करता हो तो उसे धनुर्वात रोग होता है।

१५. जो भगवान्-हरि की कथा नहीं सुनते और न सत्पुरुषों के हरि गुणगान सम्बन्धी प्रवचन को सुनते हैं, उन्हें कर्णशूल होता है।

१६. पराये ऐश्वर्य को लोभ भरी दृष्टि से देखने वाले पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले तथा सवारी पर बैठ कर भोजन करते हुए चलने वाले को नेत्र रोग होता है।

१७. पिता की हत्या करने वाला चेतनाशून्य (पागल) होता है।

१८. माता की हत्या करने वाला अन्धा होता है।

१९. जो सत्पुरुषों की प्रशंसा नहीं करता, उल्टे उनकी निन्दा किया करता है, उसे मुख-रोग होता है।

२०. जो धरोहर को हड़प लेता है, उसके पैर में बल्मीक नामक रोग होता है।

२१. जो मन्द बुद्धि दूसरे के मुख के पास को छीन लेता है तथा देव-सामग्रियों को हड़प लेता है, उसे गण्डमाला रोग होता है।

२२. जो गुरु पत्नी के साथ समागम करता है, उसे कुण्डुकुष्ठ रोग होता है।

23. उदारदानी को देख कर विमूर्छित होने वाले को अपस्मार रोग होता है।

२४. जो दम्भपूर्वक धर्म का आचरण करता है उसे गजचर्म रोग होता है।

२५. विश्वास न करने वाले को सिर संबंधी रोग होते हैं सूर्य का पूजन करने से इनकी निवृत्ति होती है।

२६. जो मन वचन कर्म से सदा परद्रोह करता रहता है, वह मरने के पश्चात् पुनः जन्म लेने पर पुत्रहीन (अनुत्पादक रोग से पीड़ित) होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

"कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह करोति यः ।
स त्यापुत्रतां गच्छेत्नात्र कार्या विचारणा ।"

यदि वह तीन बार हरिवंश पुराण का श्रवण करे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है तो उसे पुत्र रूपी धन की प्राप्ति होती है।

"श्रृणुयात् हरिवंशं वै वारत्रितयमेव च।
समुक्तस्तेन पापेन पुत्रवान्-धनवान्-भवेत् ॥"

जैमिनीय आश्वमेधिक पर्व के इस रोगाध्याय का श्रवण करने वाले को रोग नहीं व्यापता ।

वर्तमान जन्म के दोष से जो रोग होते हैं, उनक निवारण औषधि से होता है। जो रोग पूर्वजन्म के पापों के फलस्वरूप होते हैं, वे प्रायश्चित के बिना शान्त नहीं होते। गो ब्राह्मण की सेवा तथा दान से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। गो ब्राह्मण की कृपा होने पर औषधियाँ प्रभाव डालने में समर्थ होती हैं। यहीं कारण है कि एक ही औषधि से, एक ही रोग होने पर, किसी का रोग ठीक होता है तो किसी का नहीं। मह रोगों की उत्पत्ति एवं शमन की सूचना देते हैं। कोई यह न तो रोग उत्पन्न करता है और न उसका नाश करता है। कर्मफल अदृष्ट भोगने से कटता है, तप से कटता है। जो प्रायश्चित किया जाता है, वह तप ही है। अपने शरीर के प्रति आहार-विहार के असंयम रूप पाप से रोग होते रहते हैं।

रोग सृष्टि की व्यवस्था के अंग हैं। रोग रूपी अस्त्र से विधाता प्राणियों को नियन्त्रण में रखता है। यमराज की सेना का नाम रोग है। इस सेना से यम देव सब पर शासन करते हैं। पुण्यात्माओं पर उनका शासन नहीं चलता। क्योंकि पुण्यात्मा स्वयं यम वा विष्णु होता है।

"तस्मै यमाय नमः।"

शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का सही समय और तरीका

पिंकी कुंडू

आप रोज़ मंदिर जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मन में श्रद्धा है फिर भी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती ? क्योंकि 99% लोग दूध चढ़ाते तो हैं, पर "जिस तरह शिव उसे स्वीकार करते हैं" उस तरह नहीं चढ़ाते। आज आपको वही गुप्त और शास्त्र-सम्मत विधि बता रहा हूँ जो मैने कई बार प्रयोग करके सफलता प्राप्त की है।

5 गलतियाँ जो अगर आप करते हैं तो बंद कर दो (वरना दूध व्यर्थ जाता है)

1. प्लास्टिक की थैली या स्टील के लोटे से दूध चढ़ाना ⟶ शिव को अपमान लगता है

2. सुबह 9 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद दूध चढ़ाना ⟶ राहु का प्रभाव होता है

3. बिना स्नान किए, बिना शिव का स्मरण किए सीधे दूध डाल देना जलाधारी से दूध इधर उधर ना गिरे या कोशिश करे कि नाली में ना जाए ⟶ ये महापाप है

4. दूध चढ़ाकर तुरंत पीठ फेरकर चले आना

सही समय – 4 मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ हैं

1. ब्राह्म मुहूर्त (सुबह 4:00 से 5:30) ⟶ सबसे उत्तम

2. सूर्योदय से 45 मिनट पहले तक

3. प्रदोष काल (सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक)

4. सोमवार और प्रदोष तिथि को संध्या समय

ब्राह्म मुहूर्त में चढ़ाया दूध शिव तुरंत स्वीकार करते हैं।

सही विधि – चरण दर चरण (इसे फॉलो करो, चमत्कार देखोगे)

1. स्नान करो, साफ (सफेद या लाल) कपड़े पहनो

2. ताँबे या पीतल का लोटा लो।

3. दूध गाय का ताज़ा हो,

4. उसमें थोड़ा-सा गंगाजल मिलाओ

5. शिवलिंग के सामने खड़े होकर 3 बार यह बोलोः "ॐ नमः शिवाय गुरुजी, अर्पण स्वीकार करें"

6. दूध चढ़ाते समय यह मंत्र 11 बार बोलो (धीरे-धीरे) ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ

* दूध बहुत धीरे-धीरे चढ़ाओ – एक पतली धार बनाकर, ताकि जलाधारी में ही रहे, नाली में न जाए

*दूध चढ़ाने के बाद 11 बार "ॐ नमः शिवाय" बोलकर 1 मिनट मौन रहो, आँख बंद करके शिवलिंग को देखो

खास बातें

1. सोमवार को दूध + शहद मिलाकर चढ़ाओ ⟶ धन और स्वास्थ्य मिलता है

2. शिवरात्रि या प्रदोष को दूध + काले तिल ⟶ शत्रु और पितृदोष नाश

अगर मनोकामना पूरी करनी हो तो 21 सोमवार लगातार इसी विधि से चढ़ाओ

64 योगिनीयो के मंत्र

पिंकी कुंडू

1. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्धमाता स्वाहा ।
2. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कपलिनी नागलक्ष्मी स्वाहा ।
3. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुला देवी स्वर्णदेहा स्वाहा ।
4. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुरुकुल्ला रसनाथा स्वाहा
5. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री विरोधिनी विलासिनी स्वाहा ।
6. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री विप्रचित्ता रक्तप्रिया स्वाहा ।
7. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्र रक्त भोग रूपा स्वाहा ।
8. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्रप्रभा शुक्रनाथा स्वाहा ।
9. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री दीपा मुक्तिः रक्ता देहा स्वाहा ।
10. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नीला भुक्ति रक्त स्पर्शा स्वाहा ।
11. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री घना महा जगदम्बा स्वाहा ।
12. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री बलाका काम सेविता स्वाहा ।
13. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृ देवी आत्मविद्या स्वाहा ।
14. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मुद्रा पूर्णा रजतकृपा स्वाहा ।
15. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मिता तंत्र कौला दीक्षा स्वाहा ।
16. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा ।
17. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कामेश्वरी सर्वशक्ति स्वाहा
18. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भगमालिनी तारिणी स्वाहा
19. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नित्यकलींना तंत्रार्पिता स्वाहा ।
20. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भैरुण्ड तत्त्व उत्तमा स्वाहा ।
21. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री वह्निवासिनी शासिनि स्वाहा ।
22. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री महवज्रेश्वरी रक्त देवी स्वाहा ।
23. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री शिवदूती आदि शक्ति स्वाहा ।
24. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री त्वरिता ऊर्ध्वरेतादा स्वाहा ।
25. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुलसुंदरी कामिनी स्वाहा ।
26. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नीलपताका सिद्विदा स्वाहा ।
27. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नित्य जनन स्वरूपिणी स्वाहा ।
28. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री विजया देवी वसुदा स्वाहा ।
29. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री सर्वमङ्गला तन्त्रदा स्वाहा ।
30. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री ज्वालामालिनी नागिनी स्वाहा ।
31. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री चित्रा देवी रक्तपुजा स्वाहा ।
32. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री ललिता कन्या शुक्रदा स्वाहा ।
33. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री डाकिनी मदसालिनी स्वाहा ।
34. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री राकिनी पापराशिनी स्वाहा ।
35. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री लाकिनी सर्वतन्त्रेसी स्वाहा ।
36. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री काकिनी नागनार्तिकी स्वाहा ।
37. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री शाकिनी मित्ररूपिणी स्वाहा ।
38. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री हाकिनी मनोहारिणी स्वाहा ।
39. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री तारा योग रक्ता पूर्णा स्वाहा ।
40. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री षोडशी लतिका देवी स्वाहा ।
41. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भुवनेश्वरी मंत्रिणी स्वाहा ।
42. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री छिन्नमस्ता योनिवेगा स्वाहा ।
43. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भैरवी सत्य सुकरिणी स्वाहा ।
44. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री धूमावती कुण्डलिनी स्वाहा ।
45. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री बगलामुखी गुरु मूर्ति स्वाहा ।
46. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातंगी कांटा युवती स्वाहा ।
47. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा ।
48. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री प्रकृति ब्रह्मेन्द्री देवी स्वाहा ।
49. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री गायत्री नित्यचित्रिणी स्वाहा ।
50. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मोहिनी माता योगिनी स्वाहा ।
51. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री सरस्वती स्वर्गदेवी स्वाहा ।
52. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री अन्नपूर्णी शिवसंगी स्वाहा ।
53. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नारसिंही वामदेवी स्वाहा ।
54. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री गंगा योनि स्वरूपिणी स्वाहा ।
55. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री अपराजिता समाप्तिदा स्वाहा ।
56. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री चामुंडा परि अंगनाथा स्वाहा ।
57. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री वाराही सत्येकाकिनी स्वाहा ।
58. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कौमारी क्रिया शक्तिनि स्वाहा ।
59. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री इन्द्राणी मुक्ति नियन्त्रिणी स्वाहा ।
60. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री ब्रह्माणी आनन्दा मूर्ती स्वाहा ।
61. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री वैष्णवी सत्य रूपिणी स्वाहा ।
62. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री माहेश्वरी पराशक्ति स्वाहा ।
63. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री लक्ष्मीh मनोरमायोनि स्वाहा ।

।। शिव ग्रह शांति रक्षा स्तोत्र ।।

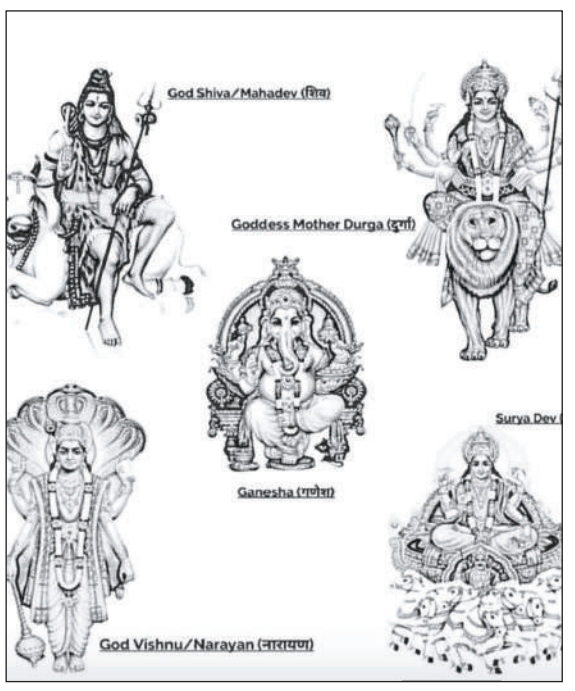

पिंकी कुंडू

नमः शिवाय नित्यं मे, ग्रहदोषहराय च।
सर्वशान्तिप्रदं देवं, रक्ष रक्ष महेश्वर ॥१॥

मैं उन शिव को नित्य नमस्कार करता हूँ जो ग्रह दोषों का नाश करने वाले हैं। हे सर्वशांति देने वाले महेश्वर ! मेरी रक्षा करें।

रविग्रहे यदि क्रोधी, चन्द्रपीडा यदि भवेत्।
शिवनामस्मृतिः शक्तिः, शान्तिं ददाति नित्यशः ॥२॥

यदि सूर्य क्रोधित हों, या चंद्रमा से पीड़ा हो - तो शिव नाम का स्मरण नित्य शांति प्रदान करता है।

मङ्गलदोषनाशाय, बुधशान्तिप्रदायिन।
गुरुशुक्रादिदोषघ्न, रक्ष मां शङ्कर प्रभो ॥३॥

हे शंकर ! आप मंगल, बुध, गुरु और शुक्र के दोषों को हरने वाले हैं - मेरी रक्षा कीजिए।

शनिदोषभयार्तस्य, राहुकेतुग्रहेपि च।
शरणागतमेकं मां, पालय त्वं दिनं प्रति ॥४॥

जो शनि, राहु, केतु से पीड़ित हैं - मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी प्रतिदिन रक्षा करें।

कालसर्पविनाशाय, कुंडलीशुद्धिकारक।
शिवस्तु परमं ब्रह्म, सर्वदोषहरः सदा ॥५॥

कालसर्प दोष को नष्ट करने वाले, कुंडली को शुद्ध करने वाले शिव, परब्रह्म हैं - जो हर प्रकार के दोष को हरते हैं।

गृहपीडा, ग्रहशापः, वास्तुदोषसमुद्भवः।
हरस्व यद्यहं नित्यं, पठेयं ते स्तवं विभो ॥६॥

हे प्रभु ! यदि मैं आपका यह स्तोत्र नित्य पाठ करूँ तो गृह पीड़ा, ग्रह शाप और वास्तु दोष सभी शांत हो जाएँ।

संतानविघ्ननाशाय, वैरिभीति-विनाशन।
शिवकवचयुक्तं मे, स्तोत्रं भवतु दायकम् ॥७॥

यह स्तोत्र संतान की रुकावटें, शत्रु भय को मिटाने में समर्थ हो - यह शिव कवचयुक्त वरदायक हो।

नवग्रहैश्च यदि क्लेशो, यंत्रतंत्रविकारकः।
भवबन्धविनाशाय, रक्ष मां शम्भु सर्वदा ॥८॥

यदि नवग्रह क्लेश दे रहे हों या यंत्र-तंत्र बाधा हो, तो हे शम्भु ! जन्म-जन्म के बंधनों को काटकर मेरी रक्षा करें।

शिवध्यानं शिवस्तोत्रं, यः पठेत् श्रद्धयान्वितः।
तस्य सर्वग्रहाः शान्ताः, पीडाः नश्यन्ति तत्क्षणम् ॥९॥

जो श्रद्धा से शिव का ध्यान और यह स्तोत्र पढ़े, उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और पीड़ाएँ तुरंत मिटती हैं।

दुःस्वप्नं च ग्रहविपत्तिः, वंशदोषसमुद्भवम्।
स्तोत्रपाठेन शम्भोस्तु, सर्व क्षिप्रं विनश्यति ॥१०॥

दुःस्वप्न, ग्रहों की विपत्ति और वंश दोष ये सब शिव स्तोत्र के पाठ से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।

एतत्तु ग्रहशान्त्यर्थं, शिवस्तोत्रं दिवानिशम्।
यः पठेत्स भवेन्नित्यं, ग्रहदोषविवर्जितः ॥११॥

जो दिन-रात इस शिव ग्रह शांति स्तोत्र का पाठ करता है, वह व्यक्ति ग्रह दोषों से सदा मुक्त रहता है।

।। श्री पंचदेवता कवचम् ।।

पिंकी कुंडू

ॐ गणेशोऽग्रतः पातु, सर्वविघ्न विनाशकः।
सिद्धिदः सर्वकर्मेषु, सर्वत्र विजयी भवेत् ॥१॥

भगवान गणेश अग्रभाग से रक्षा करें, जो सभी विघ्नों का नाश करने वाले और सभी कार्यों में सिद्धि देने वाले हैं, जिससे साधक हर स्थान पर विजयी हो।

मध्यमे विष्णुरव्यग्रो, लक्ष्म्या सहित एव च।
धनं धान्यं च मे देहि, सर्वसम्पत्समन्वितम् ॥२॥

मध्य दिशा से भगवान विष्णु, लक्ष्मी सहित, मेरी रक्षा करें और मुझे धन-धान्य तथा सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करें।

पार्श्वयोः पार्वती देवी, शङ्करेण समन्विता।
सर्वरोगभयं हत्वा, सुखं मे दत्तुमर्हति ॥३॥

दोनों पार्श्व से माता पार्वती, भगवान शंकर सहित, सभी रोग और भय का नाश करके मुझे सुख प्रदान करें।

प्रतीचे सूर्यदेवश्च, रश्मिमण्डलभास्कर।
अन्धकारं विनिर्जित्य, ज्ञानदीपं प्रज्वालयेत् ॥४॥

पश्चिम दिशा से सूर्यदेव, अपनी किरणों के तेज से अंधकार का नाश कर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें।

दक्षिणे च महादेवी, चामुण्डा शत्रुनाशिनी।
दुष्ट दैत्य मदा न्हत्वा, भक्तपालनतत्परा ॥५॥

दक्षिण दिशा से महादेवी चामुण्डा मेरी रक्षा करें, जो शत्रुओं और दुष्ट दैत्यों का संहार करके भक्तों की रक्षा करती हैं।

ईशाने ईश्वरो रक्षेत्, त्रिनेत्री नीललोहित।
कालाग्निरुद्रनाम्ना च, पापसङ्घ दहत्वयम् ॥६॥

ईशान कोण से त्रिनेत्रधारी नीललोहित भगवान ईश्वर रक्षा करें, जो कालाग्नि रूप में मेरे सभी पापों को भस्म कर दें।

ऊर्ध्वं ब्रह्मा च मे पातु, वेदशास्त्रविशारदः।
सर्वविद्यां प्रयच्छेत, पुण्यमार्ग प्रकाशयेत् ॥७॥

ऊपर से भगवान ब्रह्मा मेरी रक्षा करें, जो वेद-शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे मुझे सभी विद्या दें और पुण्य के मार्ग को प्रकाशित करें।

अधस्ताच्छेषनागश्च, धराधारणतत्परः।
मम स्थैर्यं च सन्तोषं, सर्वदा दातुमर्हति ॥८॥

नीचे से शेषनाग रक्षा करें, जो धरती को संभालने वाले हैं, वे मुझे स्थिरता और संतोष प्रदान करें।

पञ्चदेवतया युक्तं, कवचं पुण्यवर्धनम्।
यः पठेत्स श्रद्धाभक्त्या, सर्वत्र जयमाप्नुयात् ॥९॥

जो श्रद्धा और भक्ति से इस पंच देवता कवच का पाठ करता है, वह हर स्थान पर विजय प्राप्त करता है और पुण्य में वृद्धि होती है।

नासूर बन रहा है दिल्ली का जहरीला पर्यावरण

स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

पर्यावरण के प्रति उदासीनता, और नियमों की अनदेखी ने देश की राजधानी दिल्ली को ज़हरीले वातावरण की और ले जा रहा हैं। धुंध, धुऐ व कोहरे और बिगड़ते पर्यावरण के कारण सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है । ऐसे तो लखनऊ, आगरा, मुंबई ना जाने कितने शहरों में यही हालत है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग दूषित वातावरण से जीने को मजबूर हो रहें हैं। वहीं आस-पास के गांव खेत खलिहानों में चोरी-छिपे पराली जलाईं जा रही है। नदी नालों में जहरीला पदार्थ फेक्ट्री, कारखाने से निकला हुआ यह जहर यमुना नदी में मिल रहा है। हर बार ठंड के मौसम में स्थिति बद से बद्तर हो जाती है। प्रदुषण व खराब पर्यावरण के कारण उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का टी-ट्वेंटी मैच भी रद्द करना पड़ा। लेकिन इस विषय पर जनचेतना क्यों नहीं जागृत होती है। हर बार प्रदूषण पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बाते होती है पर एक्शन नहीं लिया जाता है। हवा का स्तर इतना गिर गया, यहां लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। यहां चलने वाले वाहनों व गाड़ियों के कारण भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहीं आये दिन हाइवे पर धुंध व कोहरे के कारण दुघर्टनाएं हो रही है। जिसके कारण जान-माल का नुक़सान हो रहा है। फिर इस बारे में सिर्फ राजनीति क्यों होती है। हम सभी को जागना होगा, जनचेतना के साथ शासन प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। हरियाली व पेड़-पौधों व जंगलों को खत्म कर के इतनी परेशानी बढ़ गई है। ईट पत्थरों के बड़े बड़े मॉल, पेंटहाउस, लग्जरी मकान जरूर बना लिए पर जीने के लिए घर नहीं बना पाए। हमने प्रकृति व पर्यावरण से दूरी बना ली, तभी तो हम लोगों को और आने वाली पीढ़ी भी इसका खामियाजा भुगतेगा । पशु-पक्षियों व जानवरों गाय बैल आदि को शहरों से बाहर निकल दिया और ई कचरें को अपने घरों में भर लिया है जो घातक सिद्ध हो रहा है। अभी सिर्फ वाहनों व पराली की बात हो रही है। लेकिन औद्योगिक नीति पर बदलाव नहीं हो रहा है। तभी तो मनमाने तरीके से कारखाने व फेक्ट्री का वेस्ट कचरा, केमिकल को यमुना नदी में बहाया जाता है, जो बहुत ग़लत बात है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है इस विषय पर सख्ती तो करनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले प्रमुख शहरों में दिल्ली शीर्ष पर है। जानलेवा धुंध व कोहरे और ज़हरीले प्रदूषित वातावरण से यहां की फिजा खातरनाक है। आखिर इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। दिल्ली सरकार हो या केन्द्र सरकार संयुक्त रुप से इस गंभीर विषय पर काम करने हेतु आगे आये और तभी जल्दी सुधार संभव हो । एक दुसरे से गिला-शिकवा त्याग कर अपने शहर दिल्ली के लिए यहां के नागरिक भी अपना फर्ज निभाए। शासन प्रशासन के सुझाव व चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। वाहनों की नियमित जांच प्रदुषण की जांच की जाना बहुत जरूरी है। यमुना नदी में गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हम सभी सख्त हो और प्रशासन कार्रवाई करें । ज़हरीले वायु प्रदुषण के कारण बीमारियों का सबसे ज्यादा ख़तरा दिल्ली में है । हर बार ऐसा क्यों होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले कहा था कि दिल्ली नरक से बद्तर हो गई है। समस्या बड़ी जटिल व नासूर बन रही है। इस ज़हरीले वातावरण से सभी को परेशानी है। आज दिल्ली व उसके आस-पास हालात ऐसे हैं अगर हम जागे नहीं तो पूरे देश में ऐसा ही ना हो जाए। बिगड़ते पर्यावरण के प्रति सजगतापूर्वक काम करने की आवश्यकता है ।

भगवान श्रीकृष्ण के वक्षस्थल से प्रगटे हैं गिरिराज गोवर्धन : "धर्म पथिक" शैलेन्द्र कृष्ण महाराज

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। ग्राम धौरेरा/राधा मोहन नगर स्थित मां धाम आश्रम में चल रहे सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पांचवें दिन व्यासपीठ पर आसीन प्रख्यात भागवताचार्य धर्म पथिक शैलेन्द्र कृष्ण महाराज ने देश-विदेश से आए समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को पूतना वध, भगवान श्रीकृष्ण के नाम करण, यमलार्जुन उद्धार, माखन चोरी, बकासुर-अघासुर वध, कालिया मर्दन, इंद्र मान मर्दन और गिरिराज गोवर्धन महिमा की कथा श्रवण कराई।धर्म पथिक शैलेन्द्र कृष्ण महाराज ने कहा कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव भगवान श्रीकृष्ण की एक अलौकिक लीला है।जिसमें एक ओर तो वे गिरिराज गोवर्धन के रूप में स्वयं पूज्य बने और दूसरी ओर उन्होंने नंदनंदन के रूप में ब्रजवासियों के साथ गाते-बजाते हुए गिरिराज गोवर्धन की पूजा-अर्चना की।वस्तुतः यह लीला हमारी पुरातन संस्कृति में निहित अपने आराध्य के प्रति आस्था के अतिरिक्त माधुर्य व वैभव का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्रीगिरिराज गोवर्धन का प्राकट्य गोलोक धाम में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के वक्षस्थल से हुआ है।इसीलिए वे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं।उनमें और श्रीकृष्ण में कोई भेद नहीं है।वस्तुतः भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति का संरक्षण करने के लिए ही गिरिराज पूजा की लीला की थी।जिससे कि लोग प्रकृति के महत्व को जानें और उसकी उपयोगिता का सही से पालन करें। इस अवसर पर गिरिराज गोवर्धन महाराज की अत्यंत नयनाभिराम व चित्ताकर्षक झांकी सजाई गई।साथ ही 56 प्रकार के भोग लगाए गए।इसके अलावा गोवर्धन महिमा से ओतप्रोत भजनों का संगीत की मृदुल स्वर लहरियों के मध्य गायन किया गया।जिन पर समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। महोत्सव में प्रख्यात साहित्यकार "यूपी रत्न" डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री, सन्त प्रवर रामदास महाराज (अयोध्या), हीरा भैया (नंदगांव), भागवताचार्य सुमंत कृष्ण महाराज, भागवताचार्य विमल कृष्ण पाठक, डॉ. राधाकांत शर्मा, पण्डित अंकित कृष्ण महाराज, मुख्य यजमान गोपाल चौरसिया, श्रीमती कौशल्या चौरसिया, श्यामपाल सिंह, पप्पू गौतम, महेश शास्त्री, ह्रदेश शास्त्री आदि की उपस्थिति विशेष रही।

ICSE पाठ्यक्रम में संत डॉ. सौरभ पाण्डेय : नई पीढ़ी को संस्कार और सेवा से जोड़ता प्रेरक पाठ

डॉ. शंभु पंवार

नई दिल्ली। मूल्यपरक शिक्षा को सशक्त आधार प्रदान करते हुए ICSE बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यपुस्तक में सौहार्द शिरोमणि संत डॉ. सौरभ पाण्डेय के जीवन, विचारों और सामाजिक योगदान पर आधारित एक विस्तृत एवं प्रेरक पाठ को सम्मिलित किया गया है। नगीना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तक 'नूतन दिव्य ज्ञान' में शामिल यह पाठ विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें जीवन मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी गहराई से जोड़ता है।पाठ्यपुस्तक में संत डॉ. सौरभ पाण्डेय की जीवन-गाथा को सरल, सहज और भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य छात्रों की विषय-समझ को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक, शैक्षिक, मानवीय एवं पर्यावरणीय कार्यों का उल्लेख विद्यार्थियों में सेवा-भाव, करुणा, सद्भाव, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यह पाठ व्यक्तित्व निर्माण, सकारात्मक सोच और सामाजिक चेतना को मजबूत आधार प्रदान करता है। इस पुस्तक के मुख्य लेखक सर्वेश कांत वर्मा हैं, जबकि अभ्यास खंड का लेखन सुल्तानपुर निवासी एवं 'हिंदुस्तान' समाचार पत्र से जुड़े अभय राज वर्मा द्वारा किया गया है। पाठ में संत डॉ. सौरभ पाण्डेय के जीवन को दिशा देने वाले पारिवारिक एवं प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों का भी भावपूर्ण उल्लेख किया गया है। इनमें उनके पिता सोमनाथ पाण्डेय, पत्नी एवं देहदानी डॉ. रागिनी पाण्डेय, पुत्री अंतरराष्ट्रीय बाल व्यास श्वेतिमा माधव प्रिया, पुत्र सौराष्ट्र, साथ ही शिक्षक गोरख लाल श्रीवास्तव, प्रो. दिग्विजय नाथ मौर्य, दीप नारायण पाण्डेय तथा प्रमुख मार्गदर्शक राजीव रंजन तिवारी, डॉ. प्रेम प्रकाश, डॉ. विनय श्रीवास्तव और डॉ. एहसान अहमद शामिल हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि इस प्रकार के पाठ विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़कर संस्कार, संवेदना और सामाजिक सहभागिता की ओर प्रेरित करते हैं। ICSE पाठ्यक्रम में इस पाठ का समावेश निश्चित रूप से नई पीढ़ी को मूल्यनिष्ठ, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ड्रग्स और स्मार्ट फोन, दोनों नशों से बचें युवा : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

आज युवाओं के सामने दो चुनौतियां सामने हैं, एक ड्रग्स का नशा और दूसरा स्मार्टफोन का नशा : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

उत्तर प्रदेश। युवाओं को मोबाइल फोन के नशे और ड्रग्स के नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा है कि आज युवाओं के सामने दो चुनौतियां सामने हैं, एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा जिन्हें इन दोनों नशों से बचना होगा। नशा से युवा जितना बच पाएंगे उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। एक समाजसेवी के रूप में उन्हों ने युवाओं से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि नशा तेजी के साथ युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। सभी को इसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा।

उन्हीने आगे कहा कि युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि नशा किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। स्मार्टफोन पर युवाओं का अत्यधिक समय खर्च हो रहा है इसको कम करना होगा। उन्होंने युवाओं को समझाया, हालांकि एकाएक यह कर पाना कठिन होगा इसलिए धीरे धीरे कम करिए। आवश्यक हो तभी आधा या एक घंटा तक ही आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करिए। समय तय करिए कि मुझे जब आवश्यक बात करनी है तभी बात करूंगा अनावश्यक नहीं।

स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग आपकी आंख की साइट को प्रभावित करेगा। मस्तिष्क को कुंद कर देगा, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को भी यह पूरी तरह कमजोर कर देगा। इसलिए स्मार्टफोन से जितना बच सकते हैं बचने का प्रयास करना चाहिए। समय और तकनीक से दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक्स के साथ चलते हुए भविष्य की चुनैतियों के लिए खुद को तैयार करने की सीख एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हममें से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमें उस मानसिकता से भी उबरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। यह तथ्य सही नहीं है बल्कि तकनीक आएगी रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हमें अपने आप को उसके अनुरूप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना होगा जीवन में जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता है और धैर्य बनाए रखता है। जीवन में हार तभी होती है जब हम हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की बजाय, अंधकार को धिक्कारने की बजाय, यदि हम.. आओ मिलकर दीया जलाएं.. का काम करने लग जाएं, हर व्यक्ति मिलकर एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा।

उन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क का महत्व समझाते हुए कहा कि यह केवल एक गेम में नहीं बल्कि पूरी जनरेशन में उपयोगी होता है। हमें अपने आप को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से, टीम वर्क से जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह भी याद रखना होगा, शॉर्ट कट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति और संस्था को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। युवाओं और अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा।

आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन-ब-दिन गिर रहा - सुनील गोयल डिंपल

संगरूर, (जगसीर सिंह)- आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन-ब-दिन गिर रहा है और राज्य के लोगों का भरोसा भी आप सरकार से पूरी तरह उठ चुका है, ये बातें सीनियर बीजेपी नेता सुनील गोयल डिंपल ने कहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिन हुए ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव इस बात का पक्का सबूत हैं कि इन चुनावों में रिश्वत, भ्रष्टाचार और भेदभाव समेत सब कुछ अपनाने वाली आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतनी संख्या में जीत नहीं दिला पाई जितनी उसने उम्मीद की थी।

बीजेपी नेता सुनील गोयल डिंपल ने कहा कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों की जीत से डरकर लोगों के उनके नॉमिनेशन पेपर छीनकर भागने की कई घटनाएं हुईं, फिर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इन चुनावों में वैसी जीत हासिल नहीं कर पाए जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी।

भाजपा नेता डिंपल ने कहा कि दूसरी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कई जगहों पर बुरी तरह हार का मुंह दिखाया है। इससे यह साबित होता है कि पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी से भरोसा उठ गया है और अब राज्य के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ताकि पंजाब की सरकार में बदलाव किया जा सके।

भारत की आध्यात्मिक पहचान और पवित्र शहर की अवधारणा -पंजाब मॉडल से राष्ट्रीय व वैश्विक दृष्टि तक- एक समग्र अंतरराष्ट्रीय स्तरीय विश्लेषण

सिख धर्म की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र तीन शहर अमृतसर की वाल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित करना, एक राज्य की नीति नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक प्रशासनिक ढाँचे के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - भारत को विश्व स्तर पर जिस पहचान ने सबसे अधिक प्रतिष्ठा दिलाई है, वह उसकी आध्यात्मिक चेतना, आस्था- आधारित जीवन-दृष्टि और धर्म, दर्शन व नैतिकता से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा है ।प्राचीन काल से ही भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक सभ्यता के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ जीवन के भौतिक पक्ष के साथ-साथ आत्मिक शुद्धता, संयम और नैतिक अनुशासन को सर्वोच्च स्थान दिया गया ।इसी परंपरा के अंतर्गत देश के अनेक शहर, कस्बे और तीर्थ स्थल ऐसे रहे हैं जिन्हें केवल रहने या व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि साधना, सेवा और सामाजिक शुद्धता के प्रतीक के रूप में देखा गया। वर्तमान वैश्विक दौर में जब शहरीकरण, उपभोक्तावाद और नशाखोरी सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर रहे हैं, तब पवित्र शहरों की अवधारणा न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक, प्रशासनिक और स्वास्थ्यगत दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है ।वैश्विक स्तर पर यह देखा जा रहा है कि आधुनिक शहरों में जीवन -शैली से जुड़ी बीमारियाँ, मानसिक तनाव, नशे की लत, अपराध और सामाजिक विघटन तेजी से बढ़ रहा है ।ऐसे में भारत जैसे देश से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह अपनी आध्यात्मिकविरासत के आधार पर एक वैकल्पिक शहरी मॉडल प्रस्तुत करे, जहाँ विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि न होकर सामाजिक शुद्धता, नैतिक अनुशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हो। पवित्र शहर घोषित करने की पहल इसी दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखी जा सकती है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि स्वच्छ प्रशासन, स्वस्थ समाज और नशा-मुक्त जीवन की ओर सामूहिक यात्रा को संभव बनाना है ।पंजाब, जिसकी रूह में भक्ति की महक जिसकी गलियों में गूंजती है गुरु नानक की शिक्षाएं, जहां की मिट्टी में घुली श्रद्धा धार्मिकता सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है बल्कि यहां की संस्कृति बोलचाल यहां की पहचान है, गुरुद्वारों की घंटियां और खेतों की हरियालियां जैसे साथ-साथ चलती है वैसे ही पंजाब की जिंदगी में धर्म और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखता है वहां तीन शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा मिल गया है, इसी संदर्भ में पंजाब सरकार द्वारा तीन प्रमुख धार्मिक शहरों को पवित्र शहर घोषित होना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखता है। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा 25 नवंबर 2025 को की गई घोषणा के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे यह फैसला नीतिगत और प्रशासनिक रूप से प्रभावी हो गया। यह केवल एकप्रतीकात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके साथ स्पष्ट नियम, प्रतिबंध जिम्मेदारियाँ और प्रशासनिक ढाँचा भी तय किया गया है। यह तथ्य इसे एक गंभीर और अनुकरणीय मॉडल बनाता है।

साथियों बात अगर कर हम घोषित पवित्र सिटियों की करें तो पंजाब में जिन तीन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है, उनमें अमृतसर की वाल्ड सिटी श्री आनंदपुर साहिब औरतलवंडी साबो शामिल हैं। ये तीनों शहर सिख धर्म की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र रहे हैं। अमृतसर की वाल्ड सिटी, जहाँ श्री हरिमंदिर साहिब स्थित है, न केवल सिखों बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक समरसता और सेवा का प्रतीक है। श्री आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ा हुआ है, जबकि तलवंडी साबो को 'गुरु की काशी' कहा जाता है, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने लंबे समय तक निवास किया। इन शहरों की धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए लंबे समय से संगत और धार्मिक संगठनों द्वारा पवित्र शहर घोषित करने की मांग उठाई जाती रही है। सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, इन तीनों शहरों में शराब, मांस और तंबाकू

सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह निर्णय केवल धार्मिक अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक और स्वास्थ्यगत प्रभाव भी हैं ।नशा मुक्तवातावरण से न केवल अपराध और हिंसा में कमी आने की संभावना बढ़ती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पारिवारिक स्थिरता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में ऐसे प्रतिबंध देखने को मिलते हैं, परंतु भारत जैसे विशाल और विविध देश में इस प्रकार का स्पष्ट और व्यापक निर्णय विशेष महत्व रखता है ।पंजाब सरकार का दावा है कि यह फैसला संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पवित्र शहर घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में सफाई, सुरक्षा, विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ लागू कीजाएँगी। यह पहल यह दर्शाती है कि सरकार पवित्रता को केवल निषेधात्मक नीति के रूप में नहीं, बल्कि सकारात्मक विकास मॉडल के रूप में देख रही है ।स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर बनाना, ऐतिहासिक गलियों और धार्मिक मार्गों का सौंदर्यीकरण करना, ये सभी कदम धार्मिक पर्यटन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

साथियों बात अगर हम पवित्र शहर घोषित होने के प्रभाव की करें तो, पवित्र शहरों में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात भी इस नीति का एक अहम पक्ष है। अक्सर देखा गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, अनधिकृत दुकानों और दलालों की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा होती है और धार्मिक वातावरण भी प्रभावित होता है। सरकार द्वारा इन गतिविधियों पर सख्ती का संकेत यह दर्शाता है कि पवित्र शहरों की अवधारणा को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पवित्र शहरों में अब शराब, मांसाहारी वस्तुएँ, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले आयोजनों, पोस्टरों या गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। यह निर्णय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक सम्मान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ।सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने, अव्यवस्थित पार्किंग और भीड़ बढ़ाने वालेव्यवहार पर सख्ती करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पवित्र शहर केवल नाम के नहीं, बल्कि व्यवहार और व्यवस्था के स्तर पर भी पवित्र दिखें ।महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने यह संतुलन भी बनाए रखा है कि दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं पर कोई अनावश्यक रोक न लगे ।फल- सब्जी दूध, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। धार्मिक कार्यक्रमों, संगत के आवागमन और स्थानीय निवासियों की सामान्य दिनचर्या पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है ।इससे यह स्पष्ट होता है कि पवित्र शहर की अवधारणा को जीवन-विरोधी नहीं, बल्कि जीवन-संवर्धक दृष्टि से लागू किया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं कीउपलब्धता और आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना इस नीति की व्यावहारिकता को दर्शाता है।

साथियों बात अगर हम जारी किए गए नोटिफिकेशन की करें तो, इस नोटिफिकेशन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। ओवरऑल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिले के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है ।एक्साइज विभाग को निर्देश दिया गया है कि इन तीनों शहरों में शराब और उससे संबंधित उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। यह विभागीय जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शराब बिक्री से जुड़े हित अक्सर मजबूत होते हैं और बिना स्पष्ट आदेश के प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते ।सेहत विभाग को सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार नशा-मुक्ति को केवल नैतिक या धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रश्न के रूप में देख रही है। पशुपालन विभाग को मांस और उससे संबंधित उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो इस नीति के बहु-विभागीय स्वरूप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अमृतसर, रोपड़ और बठिंडा के डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने जिलों में पवित्र शहर के तय मानदंडों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।पंजाब का यह मॉडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल राज्य-स्तरीय निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने योग्य एक नीति-ढाँचा प्रस्तुत करता है। भारत में काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, पुरी, तिरुपति और मदुरै जैसे अनेक शहर हैं, जहाँ धार्मिक आस्था और जनजीवन गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि पंजाब मॉडल की तरह स्पष्ट नियमों, विभागीय जिम्मेदारियों और संतुलित प्रतिबंधों के साथ इन शहरों को पवित्र शहर के रूप में विकसित किया जाए, तो इससे न केवल धार्मिक गरिमा की रक्षा होगी, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक अनुशासन को भी मजबूती मिलेगी।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंनें की करें तो, यह मॉडल भारत की सॉफ्ट पावर को भी सुदृढ़ करता है ।जब दुनियाँ भारत को केवल आर्थिक या तकनीकी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व देने वाले देश के रूप में देखेगी, तो उसकी वैश्विक छवि और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धालु और पर्यटक ऐसे शहरों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जहाँ स्वच्छता, सुरक्षा और सांस्कृतिक अनुशासन सुनिश्चित हो।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पंजाब द्वारा तीन पवित्र शहर घोषित करने का निर्णय केवल एक राज्य की नीति नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक प्रशासनिक ढाँचे के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। यह प्रयोग दिखाता है कि आस्था और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं ।यदि इसे संवेदनशीलता, सख्ती और संतुलन के साथ लागू किया गया, तो यह मॉडल न केवल पूरे देश के लिए, बल्कि विश्व के उन समाजों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है, जो आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य की तलाश में हैं।

क्या वामपंथ का आखिरी किला भी ढहने वाला है ?

राजेश कुमार पासी

मैं 2019 में केरल गया था. अपनी यात्रा के दौरान कई लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि यहां भाजपा का कुछ नहीं है और न कभी होगा। उनका कहना था कि यहां सिर्फ कांग्रेस और माकपा ही अदलबदल करके राज करती हैं। केरल की डेमोग्राफी भी कुछ ऐसी है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी भाजपा यहां पैर नहीं जमा पाई है। भाजपा मुख्य रूप से उत्तर भारत की पार्टी मानी जाती है लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूरे देश को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रही है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे देश में अपना झंडा गाड़ दिया है हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में भाजपा सत्ता से दूर है। लोकतंत्र में सत्ता में आने से पहले विपक्ष में आना जरूरी है और भारतीय राजनीति में ज्यादातर दलों ने ऐसे ही अपनी जगह बनाई है ।

दक्षिण भारत के दो राज्य तमिलनाडु और केरल भाजपा के लिए समस्या बने हुए हैं लेकिन धीरे-धीरे भाजपा ने इन राज्यों में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है । हाल ही में संपन्न हुए केरल स्थानीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट(यूडीएफ) ने बड़ी जीत के साथ अपनी वापिसी की है । केरल में रिवायत चल रही थी कि एक बार यूडीएफ और एक बार एलडीएफ सत्ता में आता था लेकिन पिछली बार यह रिवायत टूट गई थी और एलडीएफ ने अपनी सरकार बचा ली थी । स्थानीय चुनाव परिणामों का यही संदेश है कि यूडीएफ अपनी वापिसी करने जा रहा है । वामपंथ धीरे-धीरे भारत से समाप्त होता जा रहा है हालांकि यह तो पूरी दुनिया में चल रहा है । देखा जाए तो केरल में वामपंथ का आखिरी किला बचा हुआ है । बेशक इन चुनावों में यूडीएफ ने अपनी वापिसी की उम्मीद जगा दी है लेकिन इससे इतर चर्चा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की तिरूवनंतपुरम में जीत की है । यह जीत कई मायनों में भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भगवान का देश कहलाने वाले केरल में वामपंथी पार्टी को यूडीएफ की जीत के साथ-साथ सबसे बड़ा झटका तिरूवनंतपुरम में एनडीए की जीत से लगा है । एनडीए पहले ही उसे त्रिपुरा में सत्ता से और बंगाल में विपक्ष से साफ कर चुका है । प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है कि भाजपा ने केरल में अपने पांव जमाना शुरू कर दिया है । 1952 से ही संघ यहां काम कर रहा है लेकिन भाजपा फिर भी खाली हाथ रही है । ऐसा लगता है कि अब संघ और भाजपा को जमीनी स्तर पर काम करने का फायदा मिलने लगा है । 2026 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पी. विजयन को यूडीएफ के साथ-साथ एनडीए से भी चुनौती मिल सकती है । वामपंथी पार्टी के लिए समस्या यह है कि तिरूवनंतपुरम में पिछले 45 वर्षो से चल रहे उसके राज को सफल चुनौती यूडीएफ से नहीं बल्कि एनडीए से मिली है । भाजपा के तीसरी शक्ति बनने के आसार से वामपंथ को केरल में अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है ।

देखा जाए तो भाजपा की ताकत बढ़ना दोनों गठबंधनों के लिए खतरे की घंटी है । ऐसा नहीं है कि भाजपा अगले चुनावों में कोई बड़ा चमत्कार करने जा रही है, लेकिन वो लड़ने की शक्ति जुटा रही है। अब भाजपा को पूरी तरह से नकारना दोनों गठबंधनों के लिए आसान होने वाला नहीं है। भाजपा की बढ़ती ताकत बता रही है कि लगातार प्रयास का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि केरल की जनता के सामने भाजपा तीसरा विकल्प बनकर आ गयी है। हिन्दू समाज के भाजपा के पक्ष में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन प्रदेश के ईसाई समुदाय के लिए भी भाजपा कुछ मामलों में बेहतर विकल्प बन सकती है। दोनों गठबंधन मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं और इसके लिए इनमें एक प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है। मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से न केवल हिन्दू समुदाय बल्कि ईसाई समुदाय भी परेशान है, लेकिन अभी तक उसके पास इस नीति के प्रति विरोध जताने के लिए कोई रास्ता नहीं था । अगर ईसाई समुदाय का थोड़ा सा भी झुकाव भाजपा की ओर होता है तो ये दोनों गठबंधनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। भाजपा पूर्वोत्तर भारत के ईसाई नेताओं का इस्तेमाल केरल में ईसाई समुदाय में अपनी पकड़ बनाने के लिए कर सकती है।

देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट भाजपा बहुत कम अंतर से हारी थी । कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार तीन बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार उन्होंने बड़ी मुश्किल से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखरन को 12600 वोटों से हराया है । भाजपा ने निकाय चुनाव में 101 सीटों में से 50 सीटें जीत ली हैं । शशि थरूर कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनका झुकाव भाजपा की तरफ देखा जा रहा है। भाजपा की इस जीत से उन्हें भी परेशानी होने वाली है। भाजपा की बढ़ती ताकत के कारण पार्टी को उनकी वैसी जरूरत नहीं रहेगी जैसी पहले लग रही थी। राजीव चंदरसेखरन के रहते उनके लिए अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करना मुश्किल होगा । देखना होगा कि अगर थरूर भाजपा में आते हैं तो पार्टी उनका कैसे इस्तेमाल करती है। थरूर अभी कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए वो खुलकर भाजपा की मदद नहीं कर सकते। कांग्रेस इनकी सारी हरकतों को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि वो उन्हें पार्टी से निकाल कर आज़ाद नहीं करना चाहती । वैसे भाजपा केरल में पकड़ बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए उसने थरूर के लिए कोई भूमिका सोच रखी होगी । वैसे भी मोदी-शाह की जोड़ी बड़ी दूर की सोचकर राजनीति करती है। अगर उसे मौका मिला तो वो थरूर जैसे चेहरे को साथ लाने की कोशिश जरूर करेगी। थरूर भी अब कांग्रेस से सारी उम्मीदें खो चुके हैं क्योंकि उनके पास उम्र खत्म हो रही है। अगर उन्हें अपनी प्रतिभा और योग्यता का कुछ इस्तेमाल करना है तो भाजपा की एकमात्र विकल्प है। वैसे भी थरूर ने मोदी सरकार को बड़ा फायदा पहुंचाया है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, इसके बदले भाजपा उन्हें कुछ तो इनाम देगी । विधानसभा चुनाव में थरूर भाजपा की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 2026 में यूडीएफ की सरकार बनने की संभावना भी इन चुनावों से नजर आने लगी है। इसका मतलब है कि वामपंथी पार्टी की सत्ता अब किसी भी राज्य में नहीं रहेगी। 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में वामपंथ का आखिरी किला ढहने वाला है।

पिछले लोकसभा चुनाव में त्रिशुर सीट से भाजपा के सुरेश गोपी सांसद बन चुके हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि केरल में भाजपा खाली हाथ नहीं है। तिरुवनंतपुरम के अलावा अन्य नगर निगमों से भी भाजपा के उम्मीदवार जीत कर आये हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा धीरे-धीरे शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने के कामयाब हो रही है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हो रहा है, इसलिए वहां भी भाजपा को समर्थन मिलने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार अगर यूडीएफ सत्ता में आ जाता है तो भाकपा विपक्ष में चली जायेगी । ऐसे में भाजपा भी खुद को विपक्षी दल के रूप में पेश कर सकती है, उसे चाहे कितनी भी सीटें मिले। तमिलनाडु का उदाहरण हमारे सामने है जहां भाजपा बहुत कमजोर होने के बावजूद प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आ रही है। भाकपा के लिए कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती भाजपा बन सकती है क्योंकि वो उसे सत्ता की लड़ाई से बाहर कर सकती है। भाकपा के लिए उम्मीद की किरण यह है कि जब भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है तो कांग्रेस बहुत कमजोर साबित होती है। वर्तमान राजनीतिक हालात देखकर कहा जा सकता है कि 2031 के चुनावों में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। अभी तक यूडीएफ और एलडीएफ की राजनीति में फंसा केरल इससे बाहर निकल सकता है।

देखना यह होगा कि भाजपा तीसरी ताकत से आगे बढ़कर दूसरी ताकत कब बनती है। अभी तक की भाजपा की राजनीति देखकर कहा जा सकता है कि दूसरी ताकत बनने के बाद भाजपा सत्ता से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहती । कांग्रेस को केंद्र में अपनी संभावनाएं कमजोर नजर आ रही हैं, इसलिए वो राज्यों की सत्ता पाने के लिए प्रयास कर रही है। भाकपा और कांग्रेस की विचारधारा और नीतियां लगभग एक जैसी हो गई हैं। एक तरह से विचारधारा और नीतियों के स्तर पर दोनों पार्टियों में अंतर खत्म हो चुका है। भाजपा की विचारधारा, नीतियां और कार्यक्रम दोनों दलों से बिल्कुल अलग हैं । इस तरह भाजपा केरल की जनता के सामने सही मायनों में एक नया विकल्प बनकर सामने आ सकती है। दोनों गठबंधनों की राजनीति से ऊब चुकी जनता को भाजपा में नयापन दिखाई देता है तो वो उसकी तरफ आ सकती है। भाजपा भी उस समय का इंतजार रही है जब उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा ।

मनरेगा पर नया विधेयक : गरीब के हाथ से काम, संविधान के वादे पर वार

बाबूलाल नागा

केंद्र सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश भी किया जा चुका है। सरकार ने इस नए विधेयक का नाम रखा है— "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)"। देश महंगाई, बेरोजगारी और असमानता के अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, तब मनरेगा जैसे अधिकार आधारित कानून को बदलना केवल नीतिगत संशोधन नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005—यानी मनरेगा—कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है। यह ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। इस कानून ने पहली बार देश में "काम के अधिकार" को वैधानिक मान्यता दी। मनरेगा का मूल सिद्धांत स्पष्ट है—यदि राज्य 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यही प्रावधान इसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अलग और मजबूत बनाता है लेकिन नया विधेयक इसी आत्मा को कमजोर करता दिखाई दे रहा है।

मनरेगा एक मांग-आधारित और सार्वभौमिक अधिकार है। कोई भी ग्रामीण वयस्क, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, वर्ष के किसी भी समय काम मांग सकता है और राज्य उसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इसके विपरीत, नए विधेयक की धारा 5(1) कहती है कि रोजगार केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यानी यदि किसी क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया गया, तो वहां के लोगों के लिए काम का कोई अधिकार नहीं बचेगा। इस तरह सार्वभौमिक रोजगार की गारंटी धीरे-धीरे केंद्र की कृपा पर निर्भर योजना में बदल जाएगी।

इतना ही नहीं, नया विधेयक काम की निरंतरता पर भी चोट करता है। धारा 6(2) के अनुसार राज्य सरकारें साल में 60 दिनों की ऐसी अवधि पहले से तय करेंगी जिसमें—बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान—मनरेगा का कोई काम नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि सबसे ज्यादा जरूरत के समय मजदूरों, विशेषकर महिला मजदूरों को, कानूनी रूप से काम से वंचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान रोजगार गारंटी के मूल विचार को ही उलट देता है।

मनरेगा से जुड़ी सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या रही है— मजदूरी भुगतान में देरी। कई राज्यों में मजदूरों को महीनों तक भुगतान नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट तक यह मान चुका है कि भुगतान में देरी कानून का उल्लंघन है। इसके बावजूद नए विधेयक में समयबद्ध भुगतान को और मजबूत करने के बजाय जवाबदेही को धुंधला किया जा रहा है। जब पेट भूखा हो, तब "तकनीकी सुधार" की भाषा गरीब के घावों पर नमक छिड़कने जैसी है।

मनरेगा ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरों को सबसे अधिक संबल दिया है। आज मनरेगा के कुल श्रमिकों में आधे से अधिक महिलाएं हैं। यह केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम रहा है। गांवों में मनरेगा एक पहचान बन चुका है। करोड़ों मजदूर इसी नाम से अपने अधिकार को जानते हैं। ऐसे में नाम बदलने से जमीनी स्तर पर भ्रम, जानकारी की कमी और क्रियान्वयन में गंभीर बाधाएं खड़ी होंगी।

एक और गंभीर चिंता यह है कि नया विधेयक केंद्र के हाथों में अधिक नियंत्रण सौंपता है, जबकि मनरेगा की ताकत उसकी विकेंद्रीकृत संरचना रही है। ग्राम सभा तय करती है कि गांव को क्या चाहिए— तालाब, सड़क, जल संरक्षण या खेतों की मेड़। यदि फैसले ऊपर से थोपे जाएंगे तो मनरेगा स्थानीय जरूरतों की बजाय कागजी लक्ष्यों का कार्यक्रम बनकर रह जाएगा।

यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संकट के समय मनरेगा ने देश को संभाला है। कोरोना महामारी के दौरान जब लाखों मजदूर शहरों से गांव लौटे, तब मनरेगा ही उनका आखिरी सहारा बना। उस समय काम और मजदूरी बढ़ाने की जरूरत थी लेकिन बजट सीमित रखा गया। नया विधेयक उसी सोच की अगली कड़ी प्रतीत होता है— कम खर्च, कम जिम्मेदारी और ज्यादा नियंत्रण।

सामाजिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक संविधान की भावना के खिलाफ है। अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। काम छीनना, मजदूरी देर से देना और हक मांगने वालों को "तकनीकी कारणों" से बाहर कर देना— क्या यही गरिमापूर्ण जीवन है?

मनरेगा को अक्सर "खैरात" कहकर बदनाम किया जाता है जबकि सच्चाई यह है कि इस योजना से गांवों में स्थायी परिसंपत्तियां बनी हैं—जल संरक्षण, मिट्टी सुधार, हरियाली और ग्रामीण बुनियादी ढांचा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम ग्रामीण मांग को बढ़ाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को नीचे से मजबूत करते हैं। ऐसे में इसे बोझ बताना आर्थिक दृष्टि से भी आत्मघाती है।

नए विधेयक के खिलाफ उठ रहा विरोध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक संघर्ष है। यह सवाल पूछ रहा है कि सरकार किसके साथ खड़ी है— कॉरपोरेट मुनाफे के साथ या गरीब मजदूर के पसीने के साथ? अगर विकास का अर्थ मजदूर को और असुरक्षित करना है तो ऐसे विकास पर सवाल उठना जरूरी है।

आज जरूरत इस बात की है कि मनरेगा को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत किया जाए— मजदूरी दरें महंगाई के अनुसार बढ़ें, काम मांगते ही मिले, बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित हो और भुगतान समय पर हो। नाम बदलने की नहीं, बल्कि मनरेगा की आत्मा—रोजगार, गरिमा और अधिकार—को बचाने की जरूरत है।

अंततः यह लड़ाई केवल एक कानून की नहीं बल्कि उस सोच की है जो गरीब को बोझ समझती है। मनरेगा को कमजोर करना मतलब ग्रामीण भारत की रीढ़ तोड़ना। अगर सरकार सचमुच "सबका विकास" चाहती है तो उसे यह विधेयक वापस लेकर मजदूरों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों से संवाद करना होगा वरना इतिहास गवाह रहेगा कि जिस कानून ने करोड़ों लोगों को जीने का सहारा दिया, उसी को नीतियों ने दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया।

(लेखक भारत अपडेट' के संपादक हैं)

जब विचार न सूझें तो उन्हें कैसे बूझें !

चंद्र मोहन

जब विचार न सूझें (या बहुत ज़्यादा आएं) तो उन्हें "बूझने" (शांत करने) के लिए ध्यान (Meditation), साँसों पर फोकस करना, प्रकृति से जुड़ना (पेड़-पौधे देखना), सकारात्मक माहौल बनाना, या कुछ रचनात्मक (जैसे लिखना, पेंटिंग) करना चाहिए; विचारों को रोकने की बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखना और उन्हें 'जाने' देना सबसे प्रभावी तरीके हैं.

विचारों को शांत करने के तरीकेः

ध्यान (Meditation):

साँसों पर ध्यान दें:

शांत जगह पर बैठें और अपनी आती-जाती साँसों पर ध्यान केंद्रित करें. विचार आएं तो उन्हें आने दें और जाने दें, उनसे जुड़ें नहीं.

साक्षी भाव अपनाएं:

अपने विचारों को दूर से देखें, जैसे प्लेटफार्म से गुजरती ट्रेन को देखते हैं; उन्हें रोकने की कोशिश न करें.

मानसिकता बदलें:

सकारात्मकताः नकारात्मक चीजों, माहौल और लोगों से दूर रहें; हर चीज का अच्छा पहलू देखें.

कृतज्ञता (Gratitude): जीवन में मिली अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें, यह बुरे समय में भी अच्छा महसूस कराता है.

क्रियाकलाप (Activities):

लिखना/पेंटिंगः नकारात्मक विचारों को लिख कर फेंक दें या ड्रॉइंग करें; यह उनके प्रभाव को कम करता है.

प्रकृति से जुड़ें: पेड़-पौधों की देखभाल करें; प्रकृति में हर समस्या का हल छिपा है.

समस्याओं को बांटें:

एक बार में एक पर ध्यान दें: अगर कई समस्याएं हैं तो एक को चुनें और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की कोशिश करें.

ध्यान भटकाएं (Distract):

कुछ ऐसा करें जिससे आपके पास बुरे विचारों को सोचने का समय ही न बचे, जैसे अपनी पसंद बदलना या कुछ नया सीखना.

याद रखें: विचार आते-जाते रहते हैं, उन्हें जबरदस्ती रोकने की बजाय बस साक्षी भाव से देखना और धीरे-धीरे अपनी दिशा बदलना ही सही तरीका है.

बचपन से बड़े होने तक कई विचार आते हैं, जैसे कड़ी मेहनत, सीखना कभी बंद न करना, बड़े सपने देखना, गलतियों से सीखना, दृढ़ रहना और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करना; साथ ही यह समझना कि हर उम्र की अपनी खूबसूरती है और भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करना ज़रूरी है ताकि हम जीवन के हर पड़ाव (बचपन, जवानी, बुढ़ापा) को समझ सकें और आगे बढ़ सकें।

बचपन से बड़े होने तक के विचारः

सकारात्मक सोच और मेहनतः ₹कर्म करो, फल की चिंता मत करो₹ और ₹कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं₹ जैसे विचार हमें प्रेरित करते हैं।

निरंतर सीखनाः हर दिन कुछ नया सीखना और अभ्यास करते रहना हमें बेहतर बनाता है, जैसे कि ₹जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे₹।

आत्म-विश्वासः खुद पर भरोसा रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं।

लक्ष्य निर्धारणः जीवन में हमेशा अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य रखें और उन्हें पाने के लिए प्रयास करें।

असफलता से सीखः गलतियाँ करने से न डरें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि ₹गलतियाँ वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं₹।

बदलाव को स्वीकारनाः बचपन की सादगी और बड़े होने की चुनौतियों को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर बदलता है, पर मन की उम्र हम तय करते हैं।

वर्तमान में जीनाः अतीत की यादों में खोए रहने के बजाय, वर्तमान के अच्छे पलों और भविष्य की संभावनाओं का आनंद लें।

दूसरों से जुड़नाः बड़ों का आदर करना और उनसे सीखना, तथा अपने बच्चों को प्यार और मार्गदर्शन देना भी महत्वपूर्ण है।

ये विचार हमें जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने और एक संतुलित, खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं।

आपके द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही है. विचार (Thought) से शब्द (Words) बनते हैं, शब्दों से वाक्य (Sentences), वाक्यों से पैराग्राफ (Paragraphs) और अंततः ये सब मिलकर किसी विचार या भावना को अभिव्यक्त (Express) करने का माध्यम बनते हैं; यह भाषा के विकास और संचार की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जहाँ अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं और दूसरों तक पहुँचते हैं.

प्रक्रिया का विस्तारः

विचार (Thought): यह मस्तिष्क में उत्पन्न एक अमूर्त अवधारणा, भावना या सूचना होती है, जो बाहरी या आंतरिक उत्तेजनाओं से पैदा होती है.

शब्द (Words): विचारों को व्यक्त करने के लिए हम प्रतीकात्मक ध्वनियों या चिह्नों (शब्दों) का प्रयोग करते हैं. ये विचारों के छोटे-छोटे कण होते हैं.

वाक्य (Sentences): जब हम शब्दों को एक व्याकरणिक क्रम में जोड़ते हैं, तो वे वाक्य बन जाते हैं, जो एक पूर्ण विचार या अर्थ व्यक्त करते हैं.

पैराग्राफ (Paragraphs): संबंधित वाक्यों का समूह जो एक मुख्य विचार के इर्द-गिर्द केंद्रित होता है, पैराग्राफ कहलाता है.

अभिव्यक्ति (Expression): इन सभी स्तरों (शब्द, वाक्य, पैराग्राफ) के माध्यम से, व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को प्रभावी ढंग से समाज या दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है; भाषा इसी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है.

संक्षेप में, यह विचारों के जन्म से लेकर उनके पूर्ण प्रकटीकरण तक का एक सोपानिक (hierarchical) रास्ता है, जिसमें भाषा की संरचना (शब्द, वाक्य, पैराग्राफ) एक पुल का काम करती है.

अभिव्यक्ति (Manifestation) क्या है?

यह अपनी सोच और ऊर्जा को केंद्रित करके अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की एक प्रक्रिया है जो इस विश्वास पर आधारित है कि हमारे विचार ऊर्जावान होते हैं।

अभिव्यक्ति (Manifestation) का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना, जिसमें स्पष्ट इरादे, सकारात्मक सोच, और विज़ुअलाइज़ेशन (कल्पना) के ज़रिए अपने लक्ष्यों (जैसे परफेक्ट पार्टनर या सफलता) को आकर्षित करना और उन्हें जीवन में साकार करना शामिल है जो लेखन, ध्यान या दैनिक दोहराव जैसी तकनीकों से किया जा सकता है।

यह कैसे काम करती है?

स्पष्ट इरादाः आप जो चाहते हैं, उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से तय करें (जैसे "मैं एक प्यार भरा रिश्ता चाहता हूँ")।

विज़ुअलाइज़ेशनः अपने लक्ष्य को पहले से ही पा चुके होने की कल्पना करें और महसूस करें।

सकारात्मक पुष्टिः अपनी लिस्ट को पढ़ें और दोहराएँ, या affirmations (पुष्टि) का उपयोग करें।

कार्रवाई और विश्वासः अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें और विश्वास रखें कि वे पूरे होंगे।

अभिव्यक्ति के तरीके (Techniques)

लिखनाः अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाना और उसे रोज़ पढ़ना (जैसे 369 विधि)।

ध्यान और योगः मन को शांत करके विचारों को केंद्रित करना।

शारीरिक भाषा और शैलीः अपनी व्यक्तिगत शैली और हाव-भाव से खुद को व्यक्त करना।

घर की सजावटः अपने वातावरण को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनाना।

संक्षेप में, अभिव्यक्ति एक शक्तिशाली मानसिक तकनीक है जो आपको अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है।

नये विचार नये संदर्भ रचते हैं₹ (New ideas create new contexts) का अर्थ है कि मौलिक और अभिनव सोच (innovative thinking) न केवल समस्याओं के नए समाधान देती है, बल्कि दुनिया, जीवन और हमारे अनुभवों को देखने का एक पूरा नया नज़रिया (perspective) भी बनाती है, जिससे पुरानी धारणाएँ (assumptions) बदल जाती हैं और प्रगति (progress) के नए रास्ते खुलते हैं, जैसे विज्ञान और तकनीक में।

इस कथन का मतलबः

नजरिए में बदलावः नए विचार हमें पुरानी चीजों को नए सिरे से देखने और समझने की क्षमता देते हैं। यह हमें अपने कंफर्ट ज़ोन (comfort zone) से बाहर निकलने और नई संभावनाओं को खोजने में मदद करते हैं।

विकास और नवाचारः हर नया विचार एक नई शुरुआत होती है। यह जिज्ञासा और प्रयोग को बढ़ावा देता है, जिससे हम सीखते हैं, असफल होते हैं, और अंततः आगे बढ़ते हैं।

दुनिया को बदलनाः एक नई सोच सिर्फ व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। जैसे, विज्ञान और तकनीक में नए विचारों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे संदर्भ बनाए हैं, जो भविष्य को नया आकार दे रहे हैं।

रचनात्मकता का स्रोतः जब हम नए विचारों का स्वागत करते हैं, तो हम निरंतर सीखने और रचनात्मकeyt eyal की यात्रा पर होते हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्कृष्टता (personal excellence) के नए आयाम खुलते हैं।

संक्षेप में, नए विचार केवल जानकारी नहीं, बल्कि जीवन को देखने और उसे बनाने का एक नया ढाँचा (framework) तैयार करते हैं, जो हर पल एक नया संदर्भ रचता है।

"नये संदर्भ नया साहित्य रचते हैं" (New contexts create new literature) यह एक गहरा विचार है जिसका अर्थ है कि समाज, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और जीवन के अनुभवों में आने वाले बदलाव (संदर्भ) साहित्य को नया रूप, विषय और दृष्टिकोण देते हैं, जिससे पारंपरिक शैलियों से हटकर समकालीन मानव जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और नई सच्चाइयों को चित्रित करने वाली नई साहित्यिक धाराएँ और प्रयोग जन्म लेते हैं, जैसे भूमंडलीकरण के दौर में दलित, स्त्रीवादी या उत्तर-आधुनिक साहित्य का उदय हुआ।

यह कैसे काम करता है?

बदलता समाजः जब समाज में बड़े बदलाव (जैसे- भूमंडलीकरण, बाजारीकरण, मशीनीकरण) आते हैं, तो मनुष्य के जीवन जीने के तरीके और उसके संघर्ष भी बदलते हैं, और साहित्य इन बदलावों को दर्शाता है।

नए विषयः पुराने विषयों के साथ-साथ अब उपभोक्तावाद, अस्तित्व का संकट, पहचान की राजनीति, पर्यावरण जैसे नए मुद्दे साहित्य में आते हैं।

शिल्प और भाषा में प्रयोगः नए संदर्भों को व्यक्त करने के लिए लेखक अपनी रचनाओं के भाव (भावनात्मकता) और शिल्प (लिखने का तरीका) में नए प्रयोग करते हैं, ताकि वे आज के जीवन की विसंगतियों को सही ढंग से चित्रित कर सकें।

उदाहरणः

नयी कविताः प्रयोगवाद के बाद 'कैक्टस' जैसे प्रतीकों और नए भावबोधों के साथ आई, जिसने जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण दिखाया।

दलित साहित्य/स्त्रीवादी लेखनः सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में बदलाव के कारण ये नई धाराएँ उभरीं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज़ बनीं।

उत्तर-आधुनिकतावादः इसने पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और साहित्य में नई व्याख्याओं और विमर्श के द्वार खोले।

संक्षेप में, साहित्य समाज का दर्पण होता है; जब समाज बदलता है, तो साहित्य भी बदलता है, और यह बदलाव ही ₹नया साहित्य₹ कहलाता है, जो नए प्रश्नों, अनुभवों और दृष्टिकोणों से भरा होता है।

19 दिसम्बर फांसी दिवस

अशफाक उल्ला खां : मां भारती के अमर पुत्र

प्रमोद दीक्षित मलय

स्वाधीनता संग्राम की कालावधि में भारत माता की पावन रज में लोट-लोट कर बड़े हुए युवकों ने मां की आराधना में निज जीवन के सुवासित पुष्प चढ़ाये हैं। हंसते हुए फांसी के फंदों को चूम कर स्वयं गले में धारण कंठहार बना लिया तो वहीं कालचक्र की छाती पर अपनी वीरता की गाथा भी रुधिर से अंकित कर दी। इन वीरों में ही एक ऐसा नर-नाहर महनीय व्यक्तित्व थे मां भारती के अमर पुत्र अशफाक उल्ला खां जिसे सभी क्रान्तिकारी स्नेह से 'कुवर जी' कहा करते थे।

अशफाक जन्म २२ अक्टूबर, 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक जमींदार परिवार में हुआ था। पिता मो० शफीक उल्ला खां और माता मजहूरुन्निशा बेगम शिशु के जन्म पर फूले न समाये थे। अशफाक अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इन्हे घर में सभी प्यार से 'अच्छू' बुलाते थे। बचपन से ही खेलने, तैरने, घुड़सवारी करने, बंदूक से निशाना साधने और शिकार करने का शौक था। मजबूत ऊंची कद-काठी और बड़ी आंखों वाले सुन्दर गौरवर्णी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल की ही भांति उर्दू के अच्छे शायर थे। साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी में भी कविताएं और लेख लिखते थे। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। एक बार शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ बैठे क्रान्तिकारी दल के बारे में गहन चर्चा कर रहे थे कि तभी मंदिर को नष्ट एवं अपवित्र करने की मंशा से आये दंगाइयों पर अशफाक ने अपनी पिस्तौल तान कर कहा था कि यदि कोई भी आगे बढ़ा और एक भी ईंट का नुकसान हुआ तो लाशें बिछा दूंगा। अशफाक का यह रौद्र रूप देख दंगाई उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अशफाक का परिवार बहुत पढ़ा लिखा नहीं था जबकि ननिहाल पक्ष के लोग उच्च शिक्षित और महत्वपूर्ण नौकरियों में थे। ननिहाल के लोगों ने 1857 की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ नहीं दिया था तो लोगों ने गुस्से में उनकी कोठी में आग लगा दी थी, जो आज भी 'जली कोठी' नाम से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वर्ष 1920 में अपने बड़े भाई रियासत उल्ला खां के सहपाठी मित्र रामप्रसाद बिस्मिल के सम्पर्क में आने के बाद अशफाक के मन में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना भर गई और वह अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए युवाओं को जोड़ने लगे थे। इसी बीच बंगाल के क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क बना और एक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। विदेश में रह रहे लाला हरदयाल भी बिस्मिल से सम्पर्क साधे हुए थे और संगठन बनाकर उसका संविधान लिखने का निर्देश दे रहे थे। इसी बीच अशफाक कांग्रेस दल में अपने लोगों की सहभागिता चाहते थे। इसलिए 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में बिस्मिल और अन्य साथियों के साथ अशफाक शामिल हुए। लौटकर भी सम्पर्क बना रहा और 1922 के गया अधिवेशन में भी जाना हुआ लेकिन गांधी जी द्वारा बिना किसी से पूछे असहयोग आंदोलन वापस लेने से युवाओं का मन खराब हुआ और वहां से लौटने के बाद अपना एक दल बनाने की बात हुई और तब 1924 में बंगाल से आये क्रान्तिकारियों के सहयोग से 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' अस्तित्व में आई। 1 जनवरी, 1925 को 'दि रिवोल्यूशनरी' नाम से अंग्रेजी में चार पन्ने का एक विचार पत्र निकाला गया जो एक प्रकार से दल का घोषणा पत्र ही था जिसमें प्रत्येक पन्ने पर ऊपर लिखा हुआ था, "चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, प्रत्येक को मुफ्त न्याय और समान अधिकार मिलेगा।" इस पत्रक को पूरे देश के प्रमुख शहरों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया गया ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। दल के काम को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी लेकिन दल को कोई भी सेठ-साहूकार चन्दा नहीं दे रहा था। संयोग से इसी बीच योगेश चन्द्र बनर्जी और शचीन्द्रनाथ सान्याल पर्चों के साथ बंगाल जाते समय पकड़ लिए गये। अब दल की पूरी जिम्मेदारी बिस्मिल और अशफाक पर आ गई। धन प्राप्ति के लिए अमीरों के यहां दो डकैती भी डाली गईं लेकिन पर्याप्त धन नहीं मिल सका और दो आम लोगों की न चाहते हुए हत्या भी हो गई। इससे बिस्मिल का मन बहुत क्षुब्ध हुआ और भविष्य में कभी भी राजनीतिक डकैती न डालने का निश्चय कर अब सरकारी खजाना लूटने की योजना बनी। बैठक में बिस्मिल ने प्रस्ताव रखा कि काकोरी से ट्रेन द्वारा जाने वाले खजाने को लूटा जाये। बैठक में उपस्थित सभी साथी सहमत थे लेकिन अशफाक ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया कि अभी हमारी ताकत अंग्रेज सरकार से सीधे लड़ने की नहीं है और खजाना लुटने के बाद पुलिस हमारे पीछे पड़ जायेगी और दल बिखर जायेगा। इस पर अशफाक को कायर और मृत्यु से डरने वाला कहा गया। अन्ततः अशफाक ने सहमति देते हुए कहा कि वह मौत से नहीं डरते और यह समय ही तय करेगा। तो योजनानुसार २६ अगस्त की शाम को '8 डाउन लखनऊ-सहारनपुर पैसेन्जर ट्रेन" में 10 क्रान्तिकारी सवार हुए। जैसे ही काकोरी से खजाना लादकर ट्रेन आगे बढ़ी तो राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी ने जंजीर खींच दी। अशफाक ने लपक कर ड्राइवर की कनपटी में माउजर धर दिया। गार्ड ने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन बिस्मिल ने उसे जमीन पर औंधे मुंह गिरा कर काबू में कर लिया। खजाने की तिजोरी उतारी गई लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी ताले नहीं खुले। समय जाता देख अशफाक ने अपनी माउजर मन्मथनाथ गुप्त को पकड़ाकर घन से तिजोरी तोड़ने को पिल पड़े। अशफाक के जोरदार प्रहारों से तिजोरी में एक बड़ा छेद हो गया।

भारत की लड़कियों के लिए कौशल स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सुरक्षा का मार्ग है

विजय गर्ग

देश भर में हजारों युवा महिलाओं के पास डिग्री है लेकिन वे बेरोजगार हैं। यह एक गहन संरचनात्मक मुद्दे को दर्शाता हैः साक्षरता और शैक्षणिक योग्यताएं, यद्यपि आवश्यक हैं, लेकिन स्वतः ही रोजगार में परिवर्तित नहीं होतीं। कई स्नातकों में समकालीन उद्योगों द्वारा अपेक्षित व्यावहारिक, डिजिटल और कार्यस्थल कौशल का अभाव होता है।

भारत ने लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच को मजबूत करने में दशकों बिताए हैं। छात्रवृत्ति, जागरूकता अभियान और सामुदायिक स्तर के अभियानों के माध्यम से देश पहले की तुलना में अधिक लड़कियों को कक्षाओं में लाने में सफल रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक और यहां तक कि उच्च शिक्षा स्तर पर लड़कियों के नामांकन की दर में वृद्धि हुई है। फिर भी एक जिद्दी अंतर बना हुआ हैः जबकि अधिक युवा महिलाएं स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही इसमें शामिल हो पाती हैं

कार्यबल. यह विच्छेद एक कठोर सत्य को उजागर करता है - केवल शिक्षा ही रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती। भारतीय लड़कियों के लिए कौशल विकास, सीखने और आजीविका के बीच की लुप्त कड़ी है।

देश भर में हजारों युवा महिलाओं के पास डिग्री है लेकिन वे बेरोजगार हैं। यह एक गहन संरचनात्मक मुद्दे को दर्शाता हैः साक्षरता और शैक्षणिक योग्यताएं, यद्यपि आवश्यक हैं, लेकिन स्वतः ही रोजगार में परिवर्तित नहीं होतीं। कई स्नातकों में समकालीन उद्योगों द्वारा अपेक्षित व्यावहारिक, डिजिटल और कार्यस्थल कौशल का अभाव होता है। इसे और भी जटिल बनाते हुए सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं जो अक्सर शिक्षा के लाभों को ढक देती हैं। कई लड़कियों के लिए, पारिवारिक प्रतिबंध, लिंग रूढ़िवादिता और "उचित काम" के बारे में विचार शिक्षा को वित्तीय स्वतंत्रता में बदलने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं।

ये सामाजिक बाधाएं हर चीज को आकार देती हैं - चाहे किसी महिला को काम करने की अनुमति हो या नहीं, से लेकर वह किस प्रकार का काम स्वीकार कर सकती है। परिवार अक्सर ऐसी भूमिकाओं से बचते हैं जिनमें यात्रा, शारीरिक कार्य या देर तक काम करना शामिल होता है, जिससे शिक्षित महिलाओं को भी संकीर्ण, कम विकास वाले कैरियर पथ पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आत्मविश्वास-निर्माण और संचार क्षमताएं - आज की कार्य संस्कृति में महत्वपूर्ण कौशल - पारंपरिक कक्षाओं में शायद ही कभी पोषित होते हैं, जिससे कौशल विकास कार्यक्रम आवश्यक हो जाते हैं।

भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र में वास्तविकता और भी कठोर हो जाती है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक कामकाजी महिलाएं केंद्रित रहती हैं। अधिकांश लोग अकुशल हैं और कम वेतन वाली, असुरक्षित नौकरियों में लगे हुए हैं - घरेलू काम, कृषि, सिलाई, निर्माण, घर पर आधारित उत्पादन या सूक्ष्म उद्यम। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं को कौशल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है और वे अस्थिर नौकरियों में फंसी रहती हैं, जहां उनकी गतिशीलता कम होती है। कौशल विकास इस दिशा को बदल सकता है। डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण महिलाओं को कम उत्पादकता वाले काम से स्थिर, बेहतर वेतन वाले अवसरों की ओर बढ़ने में मदद करता है। आज के उद्योग - चाहे स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, आतिथ्य, प्रौद्योगिकी या खुदरा - सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक क्षमता के मिश्रण की मांग करते हैं, और कौशल प्रशिक्षण इस पुल को प्रदान करता है।

जब महिलाएं कौशल प्राप्त करती हैं, तो इसका प्रभाव रोजगार से कहीं आगे तक जाता है। कुशल महिलाएं आर्थिक उत्पादकता, नवाचार और समावेशी विकास को मजबूत करती हैं। परिवारों के भीतर, एक कामकाजी बेटी या माँ वित्तीय सुरक्षा और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाती है। इसके अलावा, कुशल श्रमिक उचित वेतन पर बातचीत करने, शोषण का विरोध करने और औपचारिक रोजगार में जाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

भारत के लिए अगला कदम शिक्षा के हर चरण में कौशल विकास को एकीकृत करना होगा। ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिशीलता वाली लड़कियों के लिए। उद्योग के साथ साझेदारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रशिक्षण वास्तविक नौकरी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदायों और परिवारों को कौशल प्रशिक्षण को आवश्यक मानने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए - न कि माध्यमिक शिक्षा। भारत की लड़कियों के लिए, कौशल स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सुरक्षा का मार्ग है।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

महिलाएं: तब और अब — परिवर्तन, साहस और निरंतरता की यात्रा

डॉ विजय गर्ग

महिलाओं की कहानी स्वयं मानवता की कहानी है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर डिजिटल युग तक, महिलाओं के जीवन को परंपराओं, संघर्षों, प्रतिरोध और उल्लेखनीय परिवर्तनों द्वारा आकार दिया गया है। जबकि अतीत में गहरी असमानताएं और मौन आवाजें उजागर होती हैं, वर्तमान लचीलापन, सशक्तिकरण और समानता की निरंतर खोज को दर्शाता है। उस समय और अब महिलाओं के बीच का अंतर सामाजिक परिवर्तन की एक शक्तिशाली कहानी बताता है - अधूरा, फिर भी अजेय।

तब महिलाएं: परंपरा और मौन से बंधी हुई

अधिकांश पारंपरिक समाजों में, महिलाओं की भूमिकाओं को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया था। उनका जीवन घर, परिवार और देखभाल के इर्द-गिर्द घूमता था, तथा उन्हें शिक्षा, संपत्ति या निर्णय लेने की बहुत कम सुविधा मिलती थी।

सीमित शिक्षाः लड़कियों को अक्सर स्कूली शिक्षा देने से मना कर दिया जाता था, क्योंकि शिक्षा को अनावश्यक या महिलाओं के लिए खतरनाक भी माना जाता था।

कोई कानूनी पहचान नहीं: महिलाओं के पास न्यूनतम कानूनी अधिकार थे - वे मतदान करने, संपत्ति रखने या अपने जीवन साथी को स्वतंत्र रूप से चुनने में असमर्थ थीं।

आर्थिक निर्भरताः रोजगार के अवसर दुर्लभ थे, और अवैतनिक घरेलू काम को मान्यता नहीं दी गई।

सामाजिक नियंत्रणः रीति-रिवाज, प्रारंभिक विवाह और कठोर लिंग मानदंड व्यवहार, उपस्थिति और महत्वाकांक्षाओं को निर्धारित करते हैं।

अदृश्य योगदानः कृषि, शिल्प और घरों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, महिलाओं की श्रम को शायद ही कभी स्वीकार किया गया।

फिर भी इन प्रतिबंधात्मक समय में भी महिलाओं ने चुपचाप और साहसपूर्वक विरोध किया। सामाजिक सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, लेखकों और देखभाल करने वालों ने परिवर्तन की नींव रखी।

अब महिलाएं: आवाजें उठ रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं

आधुनिक युग ने महिलाओं की स्थिति में नाटकीय बदलाव देखा है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन आज महिलाएं पहले से कहीं अधिक स्वतंत्रता, दृश्यता और अवसर का आनंद ले रही हैं।

शिक्षा तक पहुंचः अब कई देशों में महिलाएं कक्षाओं पर हावी हैं और विज्ञान, चिकित्सा, कानून और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।

आर्थिक स्वतंत्रताः उद्यमियों से लेकर पेशेवरों तक, महिलाएं दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

राजनीतिक भागीदारीः महिलाएं मतदाता, सांसद, मंत्री और राज्य प्रमुख के रूप में कार्य करती हैं।

कानूनी अधिकारः कानून अब संपत्ति, काम, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

आत्म-अभिव्यक्तिः आज महिलाएं मीडिया, साहित्य, कला और सक्रियता के माध्यम से अपनी पहचान, पसंद और आवाज को पुष्ट करती हैं।

डिजिटल प्लेटफार्मों ने महिलाओं की आवाज को और अधिक बढ़ाया है, जिससे सीमाओं और पीढ़ियों के पार आंदोलन जुड़े हैं।

क्या बदल गया है और क्या नहीं हुआ

क्या बदल गया हैः

शिक्षा, करियर और विवाह में पसंद की स्वतंत्रता

सार्वजनिक और व्यावसायिक जीवन में दृश्यता

महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देना

क्या बना रहता हैः

लैंगिक वेतन अंतर

असमान घरेलू बोझ

हिंसा और भेदभाव

सामाजिक निर्णय और अवास्तविक अपेक्षाएं

प्रगति भूगोल, वर्ग, संस्कृति और संसाधनों तक पहुंच के कारण असमान रही है।

शिक्षा और जागरूकता की भूमिका

महिलाओं के जीवन को बदलने में शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण रहा है। एक शिक्षित महिला न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समुदाय को भी ऊपर उठाती है। जागरूकता, कानूनी सुधार और बदलती मानसिकता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समानता कागज से आगे बढ़कर व्यवहार में आ जाए।

आगे देखना: महिलाओं का भविष्य

भविष्य में साझेदारी की आवश्यकता है, पदानुक्रम नहीं - जहां पुरुष और महिलाएं एक साथ बढ़ते हैं। सच्चा सशक्तिकरण न केवल अवसर में बल्कि सम्मान, सुरक्षा और साझा जिम्मेदारी में भी निहित है।

जैसे-जैसे महिलाएं मानदंडों को चुनौती देती रहती हैं और सफलता को पुनः परिभाषित करती हैं, उनकी यात्रा एक सामूहिक सफर बन जाती है - जिससे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और मानवता को लाभ होता है।

निष्कर्ष

तब महिलाएं छाया में रहती थीं, उनकी ताकत छिपी हुई थी और आवाजें धीमी थीं। महिलाएं अब प्रकाश में खड़ी हैं - बोलती, नेतृत्व करती, सृजन करती और दुनिया को बदल देती हैं। फिर भी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अतीत को याद करना संघर्ष का सम्मान करता है; वर्तमान को आकार देने से अधिक समान भविष्य सुनिश्चित होता है। जब महिलाएं उठती हैं, तो दुनिया उनके साथ उठती है।

दबाव के दायरे में पिसता बचपन

देश भर में बच्चों से लेकर युवाओं तक के जीवन पर पढ़ाई का दबाव और अन्य तरह के अवसाद भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल है और वहां किस तरह की शिक्षा दी । जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों, समाज और सरकार की ओर से सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं ? हम ऐसा सुनते और पढ़ते आए कि शिक्षा मनुष्य को 1 शोषण, दमन, हिंसा और असमानता से लड़ना सिखाती है, उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। स्कूल बच्चों को समाज का सभ्य नागरिक बनना सिखाते हैं, उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि आज बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जा कि उनके भीतर जीवन शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है !

कुछ समय पहले दो बड़ी घटनाएं हुई, जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया। राजस्थान में जयपुर के एक स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना में पीड़ित छात्रा को सहपाठियों द्वारा तंग करने और शिक्षकों की ओर से उसकी शिकायतों को अनदेखा करने के आरोप लगे। दूसरी घटना में दिल्ली के एक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली। इस मामले में शिक्षकों पर संबंधित छात्र को उपेक्षित प्रताड़ित करने के आरोप लगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कभी शिक्षा मंदिर कहलाने वाले

विद्यालय अब शिक्षा के बाजार बन गए हैं, जहां शिक्षा को ऐसे बेचा जाता है कि उससे अधिक से के अब 5 से अधिक लाभ कमाया जा जा सके। आज के दौर में शिक्षा करता था व्यापार को र को सबसे अधिक फायदे वाला कारोबार माना जाता है। इस कारण हरेक नागरिक की शिक्षा तक समान पहुंच मुमकिन नहीं रह गई। है। देखा जाए तो बाजार ने शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, दोनों बदल डाले हैं। पहले विद्यार्थी तय कि उसे । किस तरह के विषय पढ़ने चाहिए, उसकी रुचि किसमें है। है मगर अब बाजार तय करता है कि कि उसे कौन-सा विषय पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यताः और र कुशलता का निर्धारण भी बाजार ही करता है। यहां तक कि विद्यार्थी अपनी जिंदगी या करिअर में सफल है या असफल, यह भी बाजार ही तय करता है। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अब संवेदनहीन, भावहीन और गैर-तार्किक मशीन में तब्दील हो चुका है, जिसका 'रिमोट' कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में । ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह विचार भी आ सकता है कि इससे तो पहले का समाज ही अच्छा था, जहां लोग निरक्षर या कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन स्वार्थ, लालच, धोखा, अविश्वास जैसे शब्दों से परिचित ही नहीं थे या उनसे दूर थे !

इतनी कम उम्र के बच्चे, जिन्हें सही से जीवन का अर्थ भी नहीं पता, संघर्षों और चुनौतियों ने जिन्हें अभी छुआ भी नहीं है, वे अचानक से जीवन को समाप्त करने जैसे निर्णय तक पहुंच रहे हैं तो आखिर इसकी क्या वजह

है ? समस्या कहां हैं परिवार में शिक्षण संस्थानों में, नीति निर्माताओं में, प्रशासनिक व्यवस्था में, पाठ्यक्रमों में या फिर पूरा समाज ही अव्यवस्थित हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चों में सही-गलत एवं नैतिक-अनैतिक के बीच निर्णय लेना सिखाना है, कल्याणकारी समाज की नींव को मजबूत

करने की भावना पैदा करना है, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना है, मगर धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। रही सही कसर तकनीक के विकास प्रयास ने पूरी कर दी है। इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया ने सूचना को भले ही आसान कर दिया है, लेकिन इससे बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और कुछ अलग सोचने की क्षमता हाशिये पर आ गई है। समय और उम्र से पहले ही बच्चे वह सब देखने और जानने लगे हैं, जिसकी जानकारी होना उनके लिए अभी जरूरी नहीं है। साथ ही इस भौतिकतावादी समाज में अभिभावक भी अपने बच्चों को 'स्मार्ट' बनाने की जल्दी में जिंदगी की संवेदना और अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं।

अब परिवारों में बच्चों की संख्या भले ही एक या दो ही रहने लगी है, लेकिन अभिभावकों के पास बच्चों के साथ बिताने के 1 लिए समय ही नहीं है। इस कारण धीरे-धीरे बच्चे भी परिवार के स्थान पर स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं। ऐसे में बच्चों से यह अपेक्षा करना कि वे संस्कृति और समाज के साथ समायोजन करेंगे, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे, बहुत दूर की कौड़ी है। बच्चों को एक उम्र तक डिजिटल दुनिया से दूर रखने के लिए कई देशों ने कोशिश शुरू कर दी हैं, ताकि तकनीक के दुष्प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाया जा सके। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस, , आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चीन, इटली और हंगरी जैसे देशों में छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने और डिजिटल दुनिया की लत समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। को प्राथमिक समाजीकरण जो पहले परिवार का दायित्व था, वह अब अब इनके द्वारा उत्पन्न विचारों डिजिटल मीडिया करने लगा है। । इसलिए और सूचनाओं को हम बिना संदेह के विश्वसनीय और प्रामाणिक मानने लगे हैं। नतीजतन, बच्चे 'बंधक मस्तिष्क' और 'सीमित व्यक्तित्व' वाले बनते जा रहे हैं मशहूर शिक्षाविद नील पोस्टमैन का कहना है कि आज की पीढ़ी निरर्थक विचारों से भरी और नकलची है, उसके पास जुमले हैं, मगर विचारधारात्मक चिंतन नहीं है। यह अलगाव का चरम स्तर है और ऐसे में समाज के विकास की दिशा क्या होगी, यह कहना मुश्किल है। आज की पीढ़ी के बच्चों ने अपने बचपन को जिया ही नहीं, उनकी मासूमियत जल्दी परिपक्वता में बदल रही है, तकनीक एवं डिजिटल मीडिया ने उम्र एवं समय से पहले ही इनका बचपन छीन लिया है। राष्ट्रीय प रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में विद्यार्थी आत्महत्या की दर प्रतिदिन करीब 38 है, जो पिछले बारह वर्षों में लगभग पैंसठ फीसद बढ़ी है। वर्ष 2023 में मृतक विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या 13,892 बताई गई है। ये तथ्य बहुत चौंकाने वाले हैं।

यह समस्या किसी एक की की नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान और सरकार सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल नीतियां बनाने से अगर काम चल सकता, तो विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को कब का रोक लिया गया जाता। विचारणीय विषय यह है कि छोटी सी उम्र में बच्चे अगर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो सोचिए कि उस समय उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी और वे किस दर्द से गुजर [रहे होंगे। जाता है कि कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली कहा हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, मगर दुनिया इस तरह बदलेगी, संभवतः ऐसी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की होगी। यह सच है कि जब तक कोई पीड़ा असहनीय नहीं होती, तब तक इंसान हिम्मत नहीं हारता और अगर हमारे बच्चे हिम्मत हारने लगे हैं, तो हम सबको मिलकर इसके कारण और समाधान तलाशने होंगे।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

वीर योद्धा पेरूम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय, जो जीवन में नहीं हारे एक भी युद्ध

रामस्वरूप रावतसरे

भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को पेरूम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। इस समाचार के बाद लोगों में यह उत्सुकता जगी, कि आख़िर कौन हैं पेरूम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय ? इतिहास केवल वही नहीं होता जो हमें पढ़ाया गया हो बल्कि वह भी होता है जिसे समय और सत्ता की राजनीति ने चुपचाप हाशिये पर धकेल दिया हो। दरअसल स्वतंत्रता के पश्चात ही जिस तरह का इतिहास विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दिया गया, उसे देखते हुए इस प्रकार के प्रश्नों का उठना गलत नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में, जहाँ इन्होंने शासन किया, वहाँ भी इनके बारे में पाठ्यक्रमों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह इतिहासबोध अक्सर कुछ चुनिंदा राजवंशों और विचारधाराओं तक सीमित रहा, जिसमें दक्षिण भारत के अनेक स्वाभिमानी शासकों की स्मृतियाँ धुंधला दी गईं। नवंबर 2025 में पेरूम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय के ऊपर आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की डीएमके सरकार के एक मंत्री ने केंद्र सरकार से पेरूम्बिडुगु मुथारैयार के ऊपर डाक टिकट जारी करने की अपील की थी। उस अपील के ठीक 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने पेरूम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय के ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया।

जानकारी के अनुसार सम्राट पेरूम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय के नाम में 'पेरुम्बिडुगु' उनकी उपाधि है और 'मुथरैयार' उनके वंश का नाम है। इनका वास्तविक नाम सुवरन मारन है। सुवरन मारन का जन्म सातवीं शताब्दी में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सातवीं और आठवीं शताब्दी ईस्वी के बीच वर्तमान तमिलनाडु के तंजावुर, त्रिची और पुदुकोट्टई क्षेत्र पर शासन किया। उनके द्वारा निर्मित और संरक्षित मंदिरों में मिले अभिलेख उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में महिमामंडित करते हैं जिसने अपने जीवन में 12 युद्ध लड़े और कभी पराजय का मुँह नहीं देखा। तंजावुर ज़िले के सेंदलै गाँव में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के चार स्तंभों पर जो अभिलेख खुदे हुए हैं, वह उनके बारे में तथा उनके मुथारैयार वंश के बारे में जानकारी देते हैं। इन सभी अभिलेखों में प्राचीन तमिल लिपि में अत्यंत सुंदर और सुव्यवस्थित लेखन मिलता है। ये अभिलेख सुवरन मारन उर्फ़ पेरुम्बिडुगु मुथरैयन की वंशावली, उनके चरित्र और उनकी मेइकीर्ति (यशोगाथा) का विवरण देते हैं। 'मेइकीर्ति' से आशय उन उपाधियों और नामों से है, जो किसी राजा को उसके स्वभाव, वीरता, साहस और युद्ध-पराक्रम के आधार पर दिए जाते थे। अभिलेखों में उन्हें कई उपाधियाँ प्रदान की गई हैं। इतिहास के प्राचीन स्रोतों में सुवरन मारन का उल्लेख एक ऐसे शासक के रूप में मिलता है जिन्हें शत्रुभयंकर के नाम से भी जाना जाता था।

जानकारों के अनुसार यह उपाधि केवल उनकी सैन्य शक्ति का संकेत नहीं देती, बल्कि उस राजनीतिक-बौद्धिक वातावरण की भी ओर इशारा करती है जिसे उन्होंने अपने शासनकाल में विकसित किया। सुवरन मारन के दरबार को विद्वानों और विचारधाराओं के संवाद का केंद्र माना जाता है। अभिलेखों के अनुसार पेरुम्बिदुगु मुथरैयार ने कोडुंबालूर, मनालूर, थिंगालूर, कंथालूर, अज्जुथियूर, करै, मरंगूर, पुग़ाज़ी, अन्नालवायिल, सेम्पोन मारी, वेंकोडल और कन्ननूर, इन बारह स्थानों पर युद्ध लड़े। इनमें से कई स्थान आज भी अपने पुराने नामों से जाने जाते हैं। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सुवरन मारन शैव परंपरा के संरक्षक थे और शैव विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे किंतु उनकी बौद्धिक उदारता केवल एक पंथ तक सीमित नहीं थी। उनके दरबार में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के बीच संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा विद्यमान थी। इतिहासकार डी. जी. महाजन के अनुसार, आचार्य विमलचंद्र श्रवणबेलगोला (तत्कालीन मैसूर राज्य) की जैन परंपरा से संबंधित थे और उन्होंने सुवरन मारन के दरबार में शैव तथा अन्य विद्वानों के साथ वैचारिक वाद-विवाद किया। अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि आचार्य पचिलवेल नम्बन, आचार्य अनिरुद्ध, कोट्टात्रु इलम पेरुमनार और कुववन कंजन जैसे कवि उनके दरबार की शोभा थे। इन चारों कवियों ने उनकी वीरता और पराक्रम का गान किया जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के चारों स्तंभों पर उत्कीर्ण है।

कांचीपुरम के वैकुंठ पेरुमाल मंदिर में भी एक अभिलेख है जिसमें उल्लेख है कि नंदीवर्मन द्वितीय के राज्याभिषेक के समय एक मुथरैयार राजा का औपचारिक स्वागत किया गया था। माना जाता है कि यह शासक पेरुम्बिदुगु मुथरैयार द्वितीय ही थे। डेनिस हडसन की किताब 'बॉडी ऑफ गॉड- एन एंपरर्स पैलेस फॉर कृष्णा इन एट्थ-सेंचुरी कॉंचीपुरम' में भी इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के अभिलेख में उनके द्वारा किये गए युद्धों का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। एक अभिलेख में बताया गया है कि उनका ध्वज 'वेल' अर्थात भाला था और अज्जीथियूर में उन्होंने जो युद्ध लड़ा था, उसके बाद वहाँ की धरती रक्त से लाल हो गई थी। यहाँ तक कहा जाता है कि सुवरन मारन ने उस रक्त-सिक्त भूमि को हाथियों से जुतवाया था। जानकारों द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर भी सुवरन मारन ने तमिलनाडु के अनेक क्षेत्रों में जलाशयों, नहरों और पुलों का निर्माण कराया। चूँकि उस दौर में सिंचाई के लिए पानी का एकमात्र स्रोत केवल वर्षा जल हुआ करता था, इसलिए सुवरन मारन का यह प्रयास उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। ऐसी अनेक रोचक जानकारियाँ सुवरन मारन के बारे में तथा मुथरैयार वंश के बारे में अलग-अलग स्रोतों में बिखरी पड़ी हैं। अब जब केंद्र सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट जारी कर दिया है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि सुवरन मारन को पाठ्यक्रम में शामिल कर बच्चों को भी उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वयंबोध हो सके। उन्हें यह पता चले कि भारत का इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे अनगिनत ''सुवरन मारन'' भी हैं जिनकी स्मृति एवं पुरूषार्थ को पुनर्जागृति करना समय की माँग है।

बच्चों पर संकट : डॉ विजय गर्ग

इस सदी के ढाई दशक में बाल मृत्यु दर घटने को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जतायी जा रही है। गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है दुनिया भले ही अमीर हो गई है लेकिन गरीब देशों के बच्चों पर होने वाला खर्च घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खर्च पर 27 फीसदी की कटौती की गई है। जिससे इस वर्ष दो लाख अतिरिक्त बच्चों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, ये मौतें उन बीमारियों से हो सकती हैं, जिन्हें अमीर देशों से मिलने वाली मदद से होने वाले टीकाकरण और बुनियादी इलाज से टाला जा सकता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं कि जिस समय दुनिया में संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस समय गरीब देशों के बच्चों पर स्वास्थ्य खर्च का घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आशंका जतायी जा रही है कि यदि स्वास्थ्य सहायता में तीस प्रतिशत की कटौती हो जाती है तो वर्ष 2045 तक 1.6 करोड़ अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। विडंबना देखिए कि इस आसन्न संकट को नजरअंदाज करके विकसित देश अपने रक्षा व आंतरिक खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि अमीर देशों द्वारा गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दिया जाने वाला पैसा उनके बजट के एक फीसदी से भी कम है। गेट्स फाउंडेशन का विश्व के अमीर देशों से आग्रह है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें, जहां वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं। दरअसल, संकट में वे बच्चे हैं, जो अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस संकट बढ़ने से दशकों से हासिल वैश्विक प्रगति बेकार हो जाएगी। निस्संदेह, दुनिया में कहीं भी पैदा हुए बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए।

दरअसल, गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स रिपोर्ट और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बताया कि 2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की

पांचवें जन्मदिन से पहले मौत हो गई थी। आशंका है कि आर्थिक मदद में कटौती से इस वर्ष इस संख्या में दो लाख की वृद्धि से इसके बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की आशंका है। जिसकी मूल वजह स्वास्थ्य के लिये वैश्विक मदद में आई बड़ी गिरावट है। इस वर्ष सहायता निधि में भारी कटौती के अलावा गरीब देशों के बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम के चलते मलेरिया, एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध हासिल उपलब्धियों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट बताती है कैसे प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश से सीमित बजट में लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। निस्संदेह, गरीब मुल्कों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स कहते हैं विश्व में गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये वित्तीय संसाधन बढ़ाने व वर्तमान सिस्टम में सुधार हेतु दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी के दामन पर दाग लगेगा कि मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार की पहुंच के बावजूद हम लाखों बच्चों का जीवन बचाने के लिये धन नहीं जुटा पाए। हम सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके बाल मृत्यु दर वृद्धि को रोक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम वर्ष 2045 तक कई मिलियन बच्चों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी होगा कि हम विदेशी मदद का अधिकतम उपयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता के टीके और डेटा के नये उपयोग पर अधिक ध्यान दें। निस्संदेह, इन बीमारियों से लड़ने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को जारी रखने की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन का मानना है कि अगली पीढ़ी के नवाचारों के विकास में निवेश से हम बच्चों में होने वाले मलेरिया और निमोनिया जैसे कुछ घातक रोगों को हमेशा के लिये खत्म कर सकते हैं।

डीज़ल युग का विसर्जन, हरित भारत का अभिषेक [लोहे की पटरियों पर विकास का विद्युत हस्ताक्षर]

• प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

जब कोई राष्ट्र इतिहास रचता है, तो उसकी गूंज सीमाओं से परे जाती है। दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने ऐसा ही एक स्वर्णिम अध्याय लिखा, जब ब्रॉड-गेज रेल नेटवर्क का 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण हुआ। यह उपलब्धि मात्र आँकड़ों की बाज़ीगरी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, निर्णायक नेतृत्व और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अथक मेहनत का जीवंत प्रमाण है। जिस दौर में कई तथाकथित विकसित देश आज भी डीज़ल आधारित ढांचे पर निर्भर हैं, उसी दौर में भारत ने अपने विशाल रेल नेटवर्क को हरित ऊर्जा से जोड़कर नई दिशा तय कर दी। यह आत्मनिर्भर भारत की बुलंद घोषणा है, पर्यावरण संरक्षण की ठोस पहल है और नए भारत के आत्मविश्वास का उद्घोष है। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बड़े सपने देखने और असंभव को संभव में बदलने का साहस और सामर्थ्य आज भारत के पास है।

यदि हम 2014 से पहले की स्थिति पर नज़र डालें, तो वर्तमान प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। आज़ादी के बाद लगभग छह दशकों में, यानी 2014 तक, भारतीय रेलवे का केवल 21,801 किलोमीटर मार्ग ही विद्युतीकृत हो सका था। योजनाओं की सुस्ती, निर्णयों की कमी और इच्छाशक्ति के अभाव ने विकास को जकड़ रखा था। लेकिन 2014 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच 46,900 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया, जो पहले के कुल कार्य से भी दोगुने से अधिक है। विशेष रूप से 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से ज्यादा का विद्युतीकरण हुआ, यानी औसतन प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार। यह दूरी जर्मनी जैसे देश के संपूर्ण रेल नेटवर्क के बराबर है। यह प्रगति मिशन मोड में काम करने वाली सरकार, बाधाओं को अवसर में बदलने वाली सोच और परिणाम देने वाली इच्छाशक्ति का प्रतिफल है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की यह उपलब्धि और भी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज (यूआईसी) की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण कई विकसित देशों से कहीं आगे है। ब्रिटेन जहाँ 39 प्रतिशत पर है, वहीं रूस 52 प्रतिशत, फ्रांस 60 प्रतिशत, जापान 64 प्रतिशत, स्पेन 67 प्रतिशत और चीन 82 प्रतिशत पर ही सिमटे हुए हैं। दुनिया के अनेक बड़े रेल नेटवर्क आज भी डीज़ल की खपत से जूझ रहे हैं, जबकि भारत ने अपने सबसे व्यस्त और व्यापक नेटवर्क को हरित ऊर्जा से संचालित कर दिखाया है। इसका प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि डीज़ल आयात पर निर्भरता घटी, विदेशी मुद्रा की बचत हुई और परिचालन लागत में करोड़ों रुपये की कमी आई। साथ ही, कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को नई मजबूती मिली।

पर्यावरणीय दृष्टि से यह क्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 89 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। एक टन माल को एक किलोमीटर तक ले जाने में रेल से मात्र 11.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, जबकि सड़क परिवहन से यही आंकड़ा 101 ग्राम तक पहुँच जाता है। विद्युतीकरण ने इस अंतर को और भी प्रभावी बना दिया है। मोदी सरकार की नीतियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भारत अब केवल सहभागी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका में उभर रहा है। मोदी सरकार की दृष्टि केवल तारों और खंभों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्रोतों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। नवंबर 2025 तक रेलवे में 812 मेगावाट सौर ऊर्जा और 93 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो सीधे ट्रैक्शन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1,500 मेगावाट से अधिक की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का प्रबंध किया गया है। भारतीय रेलवे अब आधुनिक थ्री-फेज आईजीबीटी तकनीक वाले लोकोमोटिव का निर्माण कर रहा है, जो ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा को पुनः उत्पन्न करते हैं। यह 'मेक इन इंडिया' की सशक्त मिसाल है, जो आयात पर निर्भरता घटाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को साकार करने में सहायक है। यह प्रधानमंत्री के पंचामृत संकल्प का सजीव रूप है।

इस विद्युतीकरण क्रांति का सबसे बड़ा लाभ देश की आम जनता को मिला है। विद्युतीकृत मार्गों पर ट्रेनें अधिक तेज़, सुरक्षित और विश्वसनीय हो गई हैं। देरी में कमी आई है और किरायों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ा है। देश के 14 रेलवे जोन और 25 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुके हैं। पूर्वोत्तर के राज्य—अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड—जहाँ कभी बुनियादी ढांचे की कमी महसूस होती थी, अब 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें बिजली से संचालित होकर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। यह जन-केंद्रित शासन की स्पष्ट झलक है, जो रेलवे को सचमुच करोड़ों भारतीयों की जीवनरेखा बना रहा है।

भारतीय रेलवे का यह विद्युतीकरण अभियान मोदी सरकार की अटूट इच्छाशक्ति, कुशल प्रशासन और राष्ट्रप्रथम सोच का अनुपम उदाहरण है। जहाँ कभी योजनाएँ फाइलों में सिमटी रहती थीं, वहाँ आज रफ्तार, हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार का तूफान दिखाई देता है। यह नए भारत का आत्मघोष है—एक ऐसा भारत जो न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहा है। शीघ्र ही 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर यह उपलब्धि विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी और आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब संकल्प मज़बूत हो, तो राष्ट्र असंभव को भी संभव बना सकता है।

"धार्मिक आस्था में समानता ही सर्वोच्च है।"

-सुनील कुमार महला

भारत धर्म-कर्म में विश्वास करने वाला देश है और यहां की अधिकांश जनता अध्यात्म में विश्वास करती है। यही कारण भी है कि हमारे देश में मंदिर भी बहुतायत में हैं। मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है, जहां हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन करने की खुली छूट है, लेकिन अब मंदिरों में भी वीआइपी दर्शन होने लगे हैं,इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन का मामला हमारे देश में एक लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। वीआईपी दर्शन के तहत कुछ खास, बड़ी पहुंच वाले लोगों को अलग लाइन बनाकर, बहुत ही कम समय में या विशेष सुविधा के साथ(कहीं-कहीं तो इसका शुल्क भी तय है) भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, जबकि आम श्रद्धालुओं को घंटों-घंटों तक कतार में लगने को विविश होना पड़ता है। मतलब सीधा सा है कि यदि आप आम आदमी हो तो आपको भगवान के दर्शन के लिए बहुत सा समय लग सकता है और यदि आप कोई वीआईपी व्यक्ति हो, बड़ी पहुंच वाले हो, तो आपको भगवान के दर्शन कुछ ही समय में हो सकते हैं, आपको लंबी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, मंदिरों में वीआईपी दर्शन की परंपरा को सीमित कर समानता और श्रद्धा के मूल भाव को बनाए रखना आज बहुत ही आवश्यक है। बहरहाल,यहां प्रश्न यह उठता है कि जब ईश्वर के सामने सभी समान हैं, तो फिर दर्शन में ऐसा भेदभाव आखिर क्यों होना चाहिए ? क्या सबको भगवान के दर्शन हेतु समान अवसर और मौका नहीं मिलना चाहिए ? क्या यह विडंबना नहीं है कि कई बार वीआईपी दर्शन के कारण सामान्य दर्शन रोक दिए जाते हैं। वास्तव में इससे आम भक्तों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें काफी परेशानी होती है। यहां तक कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। हाल फिलहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि अदालतों ने इस व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए यह बात कही है कि पद या रसूख के आधार पर भगवान के विशेष दर्शन अनुचित है और इससे आम श्रद्धालुओं के अधिकारों का हनन होता है। हालांकि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कारणों से अलग व्यवस्था को आवश्यक माना गया है, लेकिन इसे वीआईपी संस्कृति नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात यह है कि अदालतों और सरकारों ने यह निर्देश दिए हैं कि वीआईपी दर्शन(मंदिर में भगवान के दर्शन) के कारण सामान्य दर्शन बाधित न हों, दर्शन व्यवस्था पारदर्शी हो और पैसे के आधार पर भेदभाव न किया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया है। आम श्रद्धालुओं को लंबी कतारों और भीड़ में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जबकि प्रभावशाली लोगों को विशेष सुविधा मिलती थी। इसे आस्था में समानता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया गया। मामले के न्यायिक संज्ञान के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि मंदिर दर्शन में भेदभाव नहीं होना चाहिए और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इससे आम श्रद्धालुओं के अधिकार प्रभावित न हों। इसके बाद प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को वीआईपी दर्शन पर नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन सुधारने और समान दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दूसरे शब्दों में कहें तो मंदिरों में वीआईपी दर्शन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम टिप्पणी की। दरअसल, इस याचिका में मांग की गई थी कि मंदिरों में वीआईपी या विशेष दर्शन की व्यवस्था खत्म की जाए, क्योंकि इससे आम श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव होता है और संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में वीआईपी ट्रीटमेंट मनमाना और अनुचित लगता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि दर्शन व्यवस्था तय करना नीतिगत मामला है, जिसमें अदालत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया, हालांकि अदालत ने यह संदेश जरूर दिया कि पद, पैसा या प्रभाव के आधार पर विशेष सुविधाएं धार्मिक स्थलों की मूल भावना के खिलाफ हैं। वास्तव में मंदिर प्रबंधन के फैसलों से आम श्रद्धालुओं की आस्था और अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए और कोर्ट ने यही बात कही है।कुल मिलाकर, हम यहां यह बात कही सकते हैं कि हाल के मामलों में

सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी दर्शन को पूरी तरह अवैध घोषित नहीं किया है, लेकिन इसे अनुचित परंपरा बताते हुए सरकारों और मंदिर प्रबंधन को आत्ममंथन और सुधार का स्पष्ट संकेत दिया है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त दो अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक निहित है, जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना गया है और धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या पद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध है। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना करना है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इन दोनों अधिकारों का मूल भाव यह है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे और उन्हें अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करे, ताकि भारत की विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक संरचना सुदृढ़ बनी रहे। वास्तव में मंदिर कोई विशेष वर्ग या प्रभावशाली और रसूखदार,बड़े लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए समान रूप से आस्था का स्थान होते हैं। ईश्वर के दरबार में अमीर-गरीब, नेता-अधिकारी या आम नागरिक के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि केवल पद, रसूख या धन के कारण किसी को तुरंत या विशेष दर्शन कराया जाता है और इसके चलते आम भक्तों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़े, तो यह हमारे देश के संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। वैसे भी वीआईपी संस्कृति को मंदिरों में बढ़ावा देना एक गलत परंपरा ही है, क्योंकि इससे धार्मिक स्थलों का मूल उद्देश्य खत्म होता है और वे विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाते हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के नाम पर मंदिरों में आम दर्शन को रोक दिया जाता है अथवा घंटों घंटों तक के लिए इसे बाधित कर दिया जाता है। वास्तव में,सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आम दर्शन को रोकना या लंबे समय तक बाधित करने को उचित या जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी धार्मिक स्थल (मंदिर) में दर्शन की व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और न्यायसंगत होनी चाहिए। यदि किसी मंदिर में शीघ्र दर्शन या विशेष दर्शन के लिए शुल्क लिया जाता है, तो वह सीमित, नियमबद्ध और इस तरह होना चाहिए कि आम श्रद्धालुओं के अधिकार प्रभावित न हों।सच तो यह है कि पैसा या प्रभाव भगवान तक पहुंचने का कभी भी माध्यम नहीं बनना चाहिए। कुल मिलाकर, श्रद्धा में समानता ही सर्वोच्च सिद्धांत है, और किसी भी व्यवस्था से आम भक्तों के सम्मान और अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अंत में यही कहूंगा कि श्रद्धा में समानता ही सर्वोच्च है, क्योंकि ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य एक समान होते हैं, वहाँ कोई ऊँच-नीच या विशेषाधिकार नहीं होता। सच्ची भक्ति दिल की पवित्रता और आस्था से होती है, न कि पद, पैसा या पहचान से। जब श्रद्धा में भेदभाव किया जाता है, तो उसका उद्देश्य और पवित्रता दोनों प्रभावित होते हैं। समानता का भाव समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करता है। मंदिर ही नहीं मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे-हर धार्मिक स्थल का मूल संदेश यही है कि सभी भक्त समान हैं। विशेष सुविधा या वीआईपी व्यवस्था इस भावना को कमजोर करती है। श्रद्धा तभी सार्थक है जब वह सबके लिए समान हो। इसलिए धार्मिक आस्था में समानता को सर्वोच्च मानना ही न्यायपूर्ण और मानवतावादी दृष्टिकोण है।

भिवानी से इंकार, हमको चाहिए जिला हिसार : सिवानी की एक दशक पुरानी, न्यायसंगत पुकार

(अगस्त 2016 से जन-जन तक : सिवानी मंडी की आवाज़ और जिला पुनर्गठन का प्रश्न, एक नारा, एक विचार और सिवानी के भविष्य का सवाल।)

- डॉ. प्रियंका सौरभ

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक सीमाएँ पत्थर की लकीर नहीं होतीं। वे जनता की सुविधा, सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं और क्षेत्रीय संतुलन के अनुरूप समय-समय पर पुनः परिभाषित की जाती हैं। जब कोई प्रशासनिक ढांचा लगातार जनता के लिए असुविधा का कारण बने, तब उसका पुनर्विचार न केवल आवश्यक, बल्कि शासन की संवेदनशीलता की कसौटी भी बन जाता है। सिवानी मंडी उपमंडल को लेकर जिला भिवानी से अलग होकर जिला हिसार में शामिल किए जाने की मांग इसी लोकतांत्रिक विवेक और जनहित की भावना से उपजी है। यह मांग न तो अचानक उठी है और न ही किसी राजनीतिक मौसम की उपज है। यह एक दशक से अधिक समय से चल रहा शांत, संगठित और तर्कपूर्ण जन-आंदोलन है, जिसकी जड़ें सिवानी क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं में गहराई से धंसी हुई हैं।

आंदोलन की शुरुआत : अगस्त 2016

इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत अगस्त 2016 में हुई, जब छह जागरूक नागरिकों— बड़वा के प्रमुख समाज सेवी महेंद्र लखेरा, सुनील सिंहमार (एडवोकेट), लाल सिंह 'लालू', डॉ. सत्यवान सौरभ, सुरेंद्र भुक्कल और मुकेश भुक्कल—ने मिलकर इस प्रश्न को व्यक्तिगत असुविधा से ऊपर उठाकर जनहित के मुद्दे के रूप में सामने रखा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह पहल आने वाले वर्षों में सिवानी की सामूहिक चेतना का स्वर बन जाएगी। शुरुआत में यह संघर्ष कुछ बैठकों, ज्ञापनों और चर्चाओं तक सीमित रहा, लेकिन जैसे-जैसे आम लोगों ने अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को इस मांग से जुड़ा पाया, वैसे-वैसे आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। आज, लगभग दस वर्षों बाद, यह अभियान किसी समिति या व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे सिवानी उपमंडल की साझा आवाज़ बन चुका है।

भौगोलिक सच्चाई : नक्शे और जमीन के बीच का अंतर

किसी भी जिले या उपमंडल की प्रशासनिक संबद्धता का पहला और सबसे ठोस आधार उसकी भौगोलिक स्थिति होती है। इस कसौटी पर सिवानी का भिवानी से जुड़ाव कमजोर और हिसार से संबंध अत्यंत स्वाभाविक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, बडवा से हिसार की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जबकि भिवानी की दूरी करीब 70 किलोमीटर पड़ती है। यह अंतर केवल किलोमीटर का नहीं, बल्कि समय, श्रम और संसाधनों का भी है। भिवानी जाने के लिए सिवानी क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों को दो से तीन बसें बदलनी पड़ती हैं, जबकि हिसार के लिए प्रायः सीधी एक बस उपलब्ध होती है। यह अंतर उस आम नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो किसी सरकारी दफ्तर, अस्पताल या अदालत के चक्कर में पहले ही मानसिक दबाव से गुजर रहा होता है।

परिवहन व्यवस्था : सुविधा बनाम विवशता

परिवहन किसी भी क्षेत्र की जीवनरेखा होता है। सिवानी उपमंडल के संदर्भ में देखें तो यह जीवनरेखा साफ तौर पर हिसार की ओर बहती है। हिसार के लिए हर 10–15 मिनट में बस या अन्य परिवहन साधन उपलब्ध हैं। इसके विपरीत, भिवानी के लिए कई बार एक घंटे या उससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि भिवानी जाकर किसी कार्यालयीन कार्य को निपटाकर उसी दिन घर लौट पाना आम आदमी के लिए लगभग असंभव हो जाता है। एक दिन का काम दो दिन में बदल जाता है, जिससे न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि कामकाजी वर्ग, किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है।

प्रशासनिक और व्यावहारिक निर्भरता

व्यवहारिक जीवन में सिवानी क्षेत्र की निर्भरता भिवानी पर नहीं, बल्कि हिसार पर है। उच्च शिक्षा संस्थान, बड़े अस्पताल, विशेष चिकित्सा सुविधाएं, प्रमुख मंडियां, रोजगार के अवसर और न्यायिक संस्थान—इन सबके लिए सिवानी का नागरिक स्वाभाविक रूप से हिसार की ओर देखता है। यह स्थिति एक विडंबना को जन्म देती है, जहां प्रशासनिक आदेश भिवानी से संचालित होते हैं, लेकिन जीवन की जरूरतें हिसार से पूरी होती हैं। यही असंतुलन वर्षों से जनता की असुविधा का कारण बना हुआ है।

सामाजिक और सांस्कृतिक साम्य

सिवानी का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना-बाना भी हिसार से अधिक मेल खाता है। पारिवारिक रिश्ते, व्यापारिक संबंध, शैक्षिक आवाजाही और सामाजिक सहभागिता—इन सभी क्षेत्रों में सिवानी का जुड़ाव हिसार से अधिक गहरा है। लोकजीवन, भाषा-शैली और सामाजिक व्यवहार में भी यह साम्य स्पष्ट दिखाई देता है। प्रशासनिक सीमाएं यदि सामाजिक वास्तविकताओं के विपरीत खींची जाएं, तो वे जनता के लिए सुविधा की बजाय बाधा बन जाती हैं। सिवानी के मामले में यही स्थिति वर्षों से बनी हुई है।

नारे की भूमिका : विचार को पहचान

हर बड़े जन-आंदोलन को एक ऐसा वाक्य चाहिए होता है, जो उसकी पूरी भावना को कुछ शब्दों में समेट दे। सिवानी आंदोलन को यह पहचान मिली नारे के रूप में—

"भिवानी से है इंकार, हमको चाहिए जिला हिसार।"

यह नारा डॉ. सत्यवान सौरभ की कलम से निकला, और धीरे-धीरे आंदोलन की वैचारिक पहचान बन गया। यह केवल भावनात्मक उद्घोष नहीं, बल्कि सिवानी क्षेत्र की भौगोलिक सच्चाई, प्रशासनिक तर्क और जन-आकांक्षा का संक्षिप्त लेकिन सटीक बयान है। यही नारा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और चौपाल-चौपाल तक पहुंचा और आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया।

शांत, लोकतांत्रिक और निरंतर संघर्ष

इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि यह कभी उग्र या विभाजनकारी नहीं हुआ। ज्ञापन, बैठकों, संवाद, रैलियों और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई गई। यही कारण है कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों—सभी की साझा मांग बन गया। दस वर्षों की निरंतरता यह सिद्ध करती है कि यह मुद्दा क्षणिक नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की मांग करता है।

विधानसभा क्षेत्र पर संतुलित दृष्टिकोण

जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, आंदोलन की मांग वहां भी संतुलित और व्यावहारिक है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपमंडल सिवानी यथावत रहे, और विधानसभा हल्का भी सिवानी के नाम से ही गठित किया जाए। इससे न तो क्षेत्रीय पहचान को नुकसान पहुंचेगा और न ही प्रशासनिक संतुलन बिगड़ेगा।

ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी-विरोधी हिंसा: आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संतुलन

-डॉ. सत्यवान सौरभ

ऑस्ट्रेलिया को लंबे समय तक एक ऐसे बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के रूप में देखा गया है, जहाँ विविध धार्मिक, नस्ली और सांस्कृतिक समुदायों ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का अनुभव किया। यहूदी समुदाय भी इस सामाजिक संरचना का एक सशक्त और सम्मानित हिस्सा रहा है। किंतु हाल के वर्षों में, विशेषकर 2023 के बाद, यहूदी संस्थानों, सभास्थलों और व्यक्तियों के विरुद्ध लक्षित हिंसा की घटनाओं में वृद्धि ने इस धारणा को गंभीर चुनौती दी है। आगज़नी, नफ़रत भरी ग्रैफिटी, धमकियाँ और हमलों की घटनाएँ केवल आपराधिक कृत्य नहीं हैं, बल्कि वे ऑस्ट्रेलियाई समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और असुरक्षा की गहरी परतों को उजागर करती हैं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यहूदी-विरोधी हिंसा क्यों बढ़ रही है और राज्य आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं का संतुलन कैसे बनाए।

यहूदी-विरोधी हिंसा के उभार को समझने के लिए सबसे पहले वैश्विक भूराजनीतिक संदर्भ पर ध्यान देना आवश्यक है। इज़राइल-ग़ाज़ा संघर्ष जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम अब केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रह गए हैं। डिजिटल मीडिया और वैश्विक सूचना प्रवाह के कारण इनका प्रभाव दूरस्थ समाजों तक तत्काल पहुँचता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस संघर्ष ने भावनात्मक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है, जहाँ विदेश नीति या सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना कई बार यहूदी समुदाय के सामूहिक दोषारोपण में बदल जाती है। राजनीतिक असहमति और धार्मिक-जातीय पहचान के बीच की यह रेखा धुंधली पड़ना यहूदी-विरोधी हिंसा को वैचारिक वैधता प्रदान करता है।

इसके साथ ही चरमपंथी विचारधाराओं का विस्तार एक गंभीर कारक बनकर उभरा है। दक्षिणपंथी अतिवाद, श्वेत वर्चस्ववादी सोच और कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क लंबे समय से यहूदियों को षड्यंत्र सिद्धांतों से जोड़ते रहे हैं। डिजिटल युग में इन विचारों का प्रसार तेज़ और व्यापक हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और ऑनलाइन फ़ोरम ऐसे 'इको-चैम्बर्स' बनाते हैं, जहाँ नफ़रत को सामान्य व्यवहार की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जब व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार की भड़काऊ सामग्री देखता है, तो हिंसा धीरे-धीरे वैध और आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित होने लगती है।

दुष्प्रचार और साजिश कथाएँ भी यहूदी-विरोधी हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐतिहासिक रूप से यहूदियों को आर्थिक संकटों, महामारी और राजनीतिक अस्थिरता के लिए दोषी ठहराने की प्रवृत्ति रही है। आधुनिक समय में यही प्रवृत्ति सोशल मीडिया के माध्यम से नए रूप में सामने आती है। कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक मंदी या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़ी जटिलताओं को यहूदी समुदाय से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। बार-बार दोहराए जाने पर ये झूठे आख्यान सामाजिक चेतना में स्थान बना लेते हैं और हिंसा के लिए मानसिक आधार तैयार करते हैं।

आंतरिक सुरक्षा ढांचे की कुछ संरचनात्मक कमजोरियाँ भी इस समस्या को गहराती हैं। हाल की घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि हथियार लाइसेंसिंग प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य आकलन और खुफिया निगरानी कितनी प्रभावी है। यदि संभावित हिंसक प्रवृत्तियों के संकेत समय रहते

पहचान में न आएँ, तो तथाकथित 'लोन वुल्फ' हमले गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। यह केवल पुलिस की विफलता नहीं, बल्कि निवारक शासन की चुनौती है, जहाँ जोखिमों का पूर्वानुमान और समय पर हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक होता है।

इन परिस्थितियों में राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की है। लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षा का अर्थ केवल कठोर कानून और निगरानी नहीं हो सकता। राज्य की पहली जिम्मेदारी कानून के शासन को बनाए रखना है, जिसमें घृणा अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई शामिल है। यहूदी-विरोधी हिंसा के मामलों में सख़्त अभियोजन और दंड का स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है कि समाज में नफ़रत और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही, पीड़ितों को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना विश्वास बहाली के लिए अनिवार्य है।

खुफिया तंत्र का समन्वय आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। संघीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने में देरी या असंगति संभावित खतरों को अनदेखा कर सकती है। ऑनलाइन कट्टरपंथ की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण और समय रहते हस्तक्षेप—ये सभी उपाय आवश्यक हैं। किंतु यह निगरानी लक्षित और अनुपातिक होनी चाहिए। अंधाधुंध निगरानी न केवल नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास भी पैदा कर सकती है।

डिजिटल स्पेस का शासन आज आंतरिक सुरक्षा का अनिवार्य घटक बन चुका है। ऑनलाइन घृणा भाषण और दुष्प्रचार को नियंत्रित किए बिना यहूदी-विरोधी हिंसा पर अंकुश लगाना कठिन है। इसके लिए प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही, पारदर्शी नियम और त्वरित कार्रवाई तंत्र आवश्यक हैं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वैध राजनीतिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को दबाया न जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल है और सुरक्षा उपायों को इसे कमजोर नहीं करना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण, किंतु अक्सर उपेक्षित पक्ष समुदाय सहभागिता है। यहूदी समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ विश्वास-आधारित संवाद सुरक्षा प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता है। जब समुदाय स्वयं को राज्य का साझेदार महसूस करता है, तो वह संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और कट्टरपंथी प्रभावों का प्रतिरोध करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। सामुदायिक नेताओं की भागीदारी, शिकायत निवारण तंत्र और पीड़ित सहायता सेवाएँ सामाजिक एकजुटता को मजबूत करती हैं।

शिक्षा और सार्वजनिक विमर्श दीर्घकालिक समाधान की कुंजी हैं। यहूदी-विरोधी हिंसा की जड़ें केवल वर्तमान राजनीतिक घटनाओं में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों में भी निहित हैं। होलोकॉस्ट शिक्षा, बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम और अंतर-धार्मिक संवाद नफ़रत के विरुद्ध सामाजिक प्रतिरक्षा विकसित कर सकते हैं। मीडिया की भूमिका भी निर्णायक है। जिम्मेदार रिपोर्टिंग, तथ्यों की जाँच और भड़काऊ भाषा से परहेज़ सामाजिक तनाव को कम कर सकता है।

यहूदी-विरोधी हिंसा के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा है। यदि सुरक्षा उपाय किसी विशेष समुदाय को संदिग्ध ठहराने लगें या असहमति को कुचलने का माध्यम बन जाएँ, तो वे स्वयं समस्या का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अधिकार-आधारित सुरक्षा दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा और स्वतंत्रता को परस्पर पूरक माना जाए। विदेश नीति की आलोचना और यहूदी-विरोधी नफ़रत के बीच स्पष्ट अंतर करना इस संतुलन का केंद्रीय तत्व है।

अंततः, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी-विरोधी हिंसा केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतावनी भी है। यह दिखाती है कि वैश्विक ध्रुवीकरण, डिजिटल दुष्प्रचार और आंतरिक कमजोरियाँ मिलकर किस प्रकार लोकतांत्रिक समाजों को अस्थिर कर सकती हैं। इसका समाधान न तो केवल सख़्त कानूनों में है और न ही पूर्ण उदारता में, बल्कि संतुलित, अधिकार-सम्मत और समुदाय-केंद्रित रणनीति में निहित है। लक्षित पुलिसिंग, एकीकृत खुफिया तंत्र, जिम्मेदार डिजिटल नियमन और सामाजिक संवाद—इन सभी के माध्यम से ही नफ़रत अपराधों का प्रभावी मुकाबला किया जा सकता है। जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ एक-दूसरे को सुदृढ़ करती हैं, तभी बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र वास्तव में सुरक्षित और टिकाऊ बन पाता है।

ऐक्यम 2025 एक छत के नीचे मिले स्लाइट का अतीत, वर्तमान और भविष्य

लोंगोवाल,18 दिसंबर
(जगसीर सिंह)-

स्मृतियों, गौरव और उद्देश्य से परिपूर्ण वातावरण में स्लाइट एलुमनी एसोसिएशन, एन सी आर चैप्टर द्वारा द सूर्या, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली में 5वाँ एलुमनी मीट – "ऐक्यम 2025" भव्य रूप से आयोजित किया गया। अपने नाम के अनुरूप, ऐक्यम (एकता) ने यह सशक्त संदेश दिया कि समय और दूरी चाहे बदल जाए, पर स्लाइट और उसके पूर्व छात्रों का रिश्ता अटूट रहता है। इस गरिमामयी संध्या को माननीय निदेशक प्रो. मणिकांत पासवान, डीन (ए आई आर) प्रो. आर.के. मिश्रा, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रमुख प्रो. मेजर सिंह, तथा अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. मनोज गोयल और प्रो. गुलशन जावा की उपस्थिति ने विशेष ऊँचाई प्रदान की। पूर्व छात्रों के साथ उनका संवाद संस्थागत पारदर्शिता और सहयोग की सशक्त मिसाल रहा। 1991 से 2004 बैच के पूर्व छात्रों की उल्लेखनीय उपस्थिति ने आयोजन स्थल को स्लाइट की जीवंत विरासत में परिवर्तित कर दिया। वरिष्ठ पूर्व छात्रों ने कॉर्पोरेट जगत, स्टार्ट-अप्स, वैश्विक परियोजनाओं और नेतृत्व भूमिकाओं की प्रेरक यात्राएँ साझा कीं- जिनकी जड़ें स्लाइट में सीखे गए मूल्यों में थीं।

सभा को संबोधित करते हुए एन सी आर चैप्टर के अध्यक्ष निपुण कपिला ने पूर्व छात्रों को "प्रगति के साझेदार" बताते हुए संस्थान-उद्योग सेतु के रूप में चैप्टर की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके बाद संवाद नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण विमर्श हुआ। प्रमुख विषयों में शामिल रहे, वैश्विक मानकों के अनुरूप हार्ड व सॉफ्ट स्किल्स को सुदृढ़ करना, उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम पुनर्रचना, स्लाइट की डिजिटल व सोशल मीडिया उपस्थिति को सशक्त बनाना, एलुमनी द्वारा स्लाइट कैंपस में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु फंडिंग प्रस्ताव, एन सी आर क्षेत्र में स्लाइट के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का दूरदर्शी सुझाव संस्थान नेतृत्व द्वारा सभी सुझावों को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। अपने संबोधन में माननीय निदेशक डॉ. मणिकांत पासवान ने सिविल इंजीनियरिंग की नई शाखा तथा आई सी डी के अंतर्गत तीन नए कार्यक्रमों की शुरुआत की जानकारी साझा की। प्रो. मेजर सिंह, प्रमुख टी एन पी ने प्लेसमेंट उपलब्धियों को साझा करते हुए स्लाइट की बढ़ती उद्योग सहभागिता को रेखांकित किया।

इस अवसर पर लाइफटाइम एलुमनी रजिस्ट्रेशन ड्राइव की भी औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम की सफलता के पीछे एन सी आर चैप्टर कोर कमेटी—कपिल जोशी (संरक्षक), निपुण कपिला (अध्यक्ष), अनमोल रतन सिंह (उपाध्यक्ष), विशाव गोयल (महासचिव), एरविल लता, शंतनु धीमान, निपुण सिंगला, सत्यम कुमार, आयुषी एवं नैतिक—की सराहनीय भूमिका रही। ऐक्यम 2025 केवल पुनर्मिलन नहीं, बल्कि साझा विरासत, सामूहिक उत्तरदायित्व और स्लाइट के उज्ज्वल भविष्य के लिए एकजुट संकल्प था।

पंद्रह हजार घनफीट बालू समेत तीन ट्रेक्टर सरायकेला में जप्त

जिस बालू घाट में आईएएस अधिकारी के साथ हुई थी मारपीट वही की गयी कार्रवाई

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला। छह वर्ष पूर्व जिस कुजू घाट में बालू माफियाओं ने तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी संजीव बेसरा (भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी) के साथ हाथापाई कर दी थी आज उसी कुजू घाट पर जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी ने अपने जिला खनन विभाग के निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक , राजनगर थाना प्रभारी समेत थाने के सशस्त्र पुलिस बल लेकर धाबा बोला । संयुक्त रूप से हुई इस कारवाई में बालू की अवैध भंडारण सह ट्रेक्टरों को जप्त की । माइनिंग छापामारी अभियान के दौरान बालू खनिज का अवैध परिवहन करते हुए 03 ट्रैक्टर वाहनों को विधिवत जब्त कर राजनगर थाना को सुपुर्द किया गया। साथ ही मौके से अवैध रूप से भंडारित लगभग 15,000 (पंद्रह हजार) घनफीट बालू खनिज को भी विधिवत जब्त किया गया। यह कारवाई उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशन में की गयी है । उधर बालू चोरी रोकने हेतु इस कदम पर उपायुक्त सिंह के साथ खनन पदाधिकारी की राजधानी से लेकर चहुंओर तारीफ हो रही है ।

हाथियों के खतरे के कारण झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में पांच जोड़ी ट्रेनें रद्द

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची। सारंडा जंगल कभी हाथियों का राज रहा यहां पर अब घान की फसल पकने के कारण हाथियों की सक्रियता बढ़ गयी है । इस चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कई रेल खंडों पर जंगली हाथियों के झुंड की लगातार सक्रियता से रेलवे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रेलवे ट्रैक के आसपास और पटरियों के बीच हाथियों की आवाजाही को देखते हुए यात्रियों और वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। इसी क्रम में 18 और 19 दिसंबर को पांच जोड़ी मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार ट्रेन नम्बर 68025/68026 चक्रधरपुर राउरकेला चक्रधरपुर मेमू, ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटानगर राउरकेला टाटानगर मेमू, ट्रेन नम्बर 18175/18176 हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू, ट्रेन नंबर 68029/68030 राउरकेला झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू और ट्रेन नम्बर 58151/58152 बीरमत्रिपुर बरसुवां बीरमत्रिपुर पैसेंजर 18 और 19 दिसंबर को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रद्द रहने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दो दिन पहले चक्रधरपुर रेल मंडल के मालूका-डांगोवापोसी के पास गांव के रेल पटरी के आस-पास चार पांच हाथियों को विचरण करते देखा गया था।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार चाईबासा और आसपास के वन क्षेत्रों से गुजरने वाली रेल पटरियों पर बीते कुछ दिनों से हाथियों का बड़ा झुंड डेरा डाले हुए है। खासकर रात और तड़के सुबह के समय हाथियों के ट्रैक पार करने से ट्रेन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में हाथियों की ट्रेन से टकराने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है। इसी जोखिम को टालने के लिए रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया।

ट्रेनों के रद्द होने से टाटा, चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि वन विभाग के साथ समन्वय कर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और ट्रैक सुरक्षित होते ही ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा।

राज्य में महिला सुरक्षा एक आपदा है: मीनाक्षी बहिनीपति

मनोरंजन सासमल स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। राज्य में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज टूरिस्ट जगहों पर भी महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। इसीलिए महिला कांग्रेस आज हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक महिला स्पीकर, एक महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर।उन्हें शर्म आनी चाहिए। धौली नाबालिग गैंगरेप मामले में महिला कांग्रेस नेता मीनाक्षी बहिनीपति ने ऐसे आरोप लगाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मीनाक्षी ने कहा है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो विरोध तेज किया जाएगा। अब पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने के बजाय गाड़ियों को रोककर चंदा वसूल रही है। मीनाक्षी ने पूछा है कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है।

जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने मोकिम से बात की

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व MLA मोहम्मद मोकिम को कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच अलग-अलग बातों पर चर्चा चल रही है। इस बात पर चर्चा अभी भी जारी है कि मोकिम नई पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के दो नेशनल लेवल के नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने आज मोकिम से बात की। मोकिम ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। पिछले तीन दिनों से अलग-अलग जगहों पर इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोकिम की बेटी MLA सोफिया फिरदौस कांग्रेस पार्टी में रहेंगी या छोड़ देंगी। आज सोफिया ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, ₹मैं कांग्रेस में हूं और रहूंगी। कांग्रेस में रहकर लोगों के लिए काम करती रहूंगी।₹ हालांकि, सोफिया इस सवाल को टाल गईं कि क्या वह अपने पिता के साथ जाएंगी। पार्टी ने मोकिम को कांग्रेस की टॉप लीडर सोनिया गांधी को लिखे एक लेटर के कारण प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया है। पार्टी के नेता भी इस एक्शन पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कई सीनियर नेताओं का कहना है कि मोकिम के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, वह बहुत सख्त है, जबकि कुछ दूसरे लोग इस एक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। मोकिम को लेकर इन सभी रिएक्शन और बयानों के बीच, उनके करीबी लोगों से नई पार्टी बनाने की जो खबरें आ रही हैं, उससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है। CWC मेंबर श्री रमेश और श्री खेड़ा ने मोकिम से बात की। पता चला है कि श्री रमेश ने मोकिम से करीब 15 से 20 मिनट तक इन मुद्दों पर बात कीः आपने चिट्ठी क्यों लिखी, असली वजह क्या है, राज्य कांग्रेस के साथ आपकी राय में मतभेद क्यों था, अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। निकाले जाने के बाद दोनों नेताओं ने मोकिम से बात क्यों की? इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

समाधान...!

मैं करता हूँ कोशिश, ढूंढता हूँ समाधान,
न जाने जीवन में कितने आते व्यवधान।
ये ज़ददोज़हद में परिवार होता परेशान,
तकलीफों को देख मैं भी होता हूँ हैरान।

क्या? सुख की 'कल्पनाएँ' भी क्षणभंगूर,
जिन्हें पाने के लिए हम हो रहें थे आतुर।
अब लगता हैं समय भी हो रहा हैं निष्ठुर,
दुआँ करता हूँ इस सफ़र में आएँगे विदुर।

मुझे लगा हो रहा हैं परेशा लोगों का टेस्ट,
इनमें से कई आएँगे निकलकर बने बेस्ट।
मिल जाएगा उनके समाधान का भी श्रेष्ठ,
तब होगा उन्हें गर्व फूलें न समाएंगे चेस्ट।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

हिजाब हटाने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रांची में मामला दर्ज

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ रांची के इटकी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में हिजाब हटाए जाने को लेकर किया गया है. सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब रूप से हटाने के मामले से संबंधित है. यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता मुर्तजा आलम नाम के व्यक्ति ने कराई है.

थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान हिजाब खींचा जाना अब सार्वजनिक डोमेन का विषय बन चुका है.शिकायतकर्ता ने सीएम के इस कृत्य को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि धार्मिक परिधान के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया ऐसा व्यवहार न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि महिला की गरिमा और शर्म पर आघात भी है. आपको बता दें कि 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचते नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी. आर जे डी ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया था.

आर जे डी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं? वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि नियुक्ति पत्र देते समय सीएम नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं. इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुका था, नीतीश कुमार महिला डॉक्टर हिजाब खीच चुके थे.

इस मामले को लेकर हो रही राजनीति पर बीते दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया. अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है या जा रही हो, क्या वह चेहरा नहीं दिखाएंगे. ये कोई इस्लामिक देश है क्या.नीतीश ने एक गार्जियन की हैसियत से ये किया है.आप पासपोर्ट लेने या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते. भारत में कानून का राज चलेगा, नीतीश कुमार जी ने ठीक किया. जब उन्हें बताया गया उक्त महिला के नौकरी ज्वाइन न करने की खबरें हैं. वह नौकरी को रिफ्यूज कर रही हैं. इस पर गिरिराज ने कहा कि वह रिफ्यूज करें या जहन्नूम जाएं।

कांग्रेस कार्यकर्त्ता को हिरासत में लेती वाराणसी पुलिस

परिवहन विशेष न्यूज

रितेश । वाराणसी में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और भाजपा के रवैये के खिलाफ गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मलदहिया चौराहे पर चेतावनी प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह सहित छह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कार्यकर्त्ता मलदहिया चौराहे पर एकत्रित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुलाब बाग स्थित कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि हम लोकतंत्र में रहते है। हम मोदी सरकार कि तानाशाही बर्दास्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक आय का श्रोत नहीं है। किसी भी प्रकार की मनीलांड्रिंग नहीं की गई है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हम सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सकते, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बताते चलें कि, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शन कि अनुमति नहीं ली गई थी। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। सभी को हिरासत में लेकर आवागमन शुरू कर दिया गया।

कानपुर में एस आई आर : वोटर लिस्ट से पूरा ही गायब हंसपुर गांव, चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री से कार्यवाही की मांग

सुनील बाजपेई

कानपुर। सर्वाधिक सीटें देकर केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में सदैव अहम भूमिका निभाने में अग्रणी कानपुर में एस आई आर की जारी कार्यवाही ने अपने दायरे से बाहर करके यहां के क्षत्रिय बाहुल्य हंसपुर गांव में हड़कंप हाहाकार मचा दिया है। लोकसभा और विधानसभा सहित अबतक के सभी चुनाव में मतदान करने में अग्रणी प्राचीनतम गांवों में सुमार हंसपुर गांव 2003 की वोटर लिस्ट से पूरा का पूरा गायब है। मतलब हंसपुर गांव की एक भी निवासी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। यही कारण है कि यहां एस आई आर की प्रक्रिया संपादित ही नहीं हो पा रही है।

उत्तर प्रदेश में हजारों की सदस्य संख्या वाले भारतीय प्रधान संगठन और क्षत्रिय जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस के सिंह और सुधीर सिंह कछवाह ने बताया कि खास बात यह है कि सूचित करने के बाद भी प्रशासन के अधिकारियों ने भी हंसपुर गांव के बारे में अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे मताधिकार के साथ ही भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने वाली एस आई आर की प्रक्रिया हंसपुर गांव में भी पूरी की जा सके।

भारतीय प्रधान संगठन और क्षत्रिय जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस के सिंह और इस बारे में समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लगातार गुजारिश कर रहे सुधीर सिंह कछवाह ने बताया कि लगभग 4000 की आबादी वाले हंसपुर गांवमें मतदाताओं की संख्या भी1800 2000 के आसपास है, लेकिन इनमें से हंसपुर गांव के किसी भी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं शामिल है ,जिसे एस आई आर का आधार बनाया गया है। यही कारण है कि पूरा हंसपुर गांव एस ए आर की प्रक्रिया से अभी तक वंचित है। जिसको लेकर गांव का हर नागरिक बहुत परेशान और चिंतित है।

समाजसेवी अध्यक्ष एसके सिंह के मुताबिक इसकी सूचना संबंधित प्रशासन के अधिकारियों को भी दी जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी एस आई आर से संबंधित कोई भी कार्रवाई हंसपुर गांव में नहीं शुरू होने से लोग परेशान है। उन्होंने इसके लिए भारत के चुनाव आयोग ,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानपुर के जिलाधिकारी से भी जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है, ताकि एस आई आर की प्रक्रिया से अबतक वंचित हंसपुर गांव को इसका लाभ मिल सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023